Thursday, 31 July, 1975

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र / Fourteenth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit, Parliament Library, On 1-9-92

सत्यमेव जयते

[खंड 53 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 9, गुरूवार 31 जुलाई, 1975/ 9 श्रावण, 1897 (शक)

No. 9, Thursday, July 31, 1975/Sravana 9, 1897 Saka

विषय	SUBJECT	PAGE
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table . . .	1—3
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha . .	4
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public Undertakings	
70वां, 71वां तथा 72वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	70th to 72nd Reports presented . . .	4
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	5
179 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Hundred and seventy-ninth Report—presented	5
कृषि पुनर्वित्त निगम (संशोधन) विधेयक	Agricultural Refinance Corporation (Amendment) Bill—	
विचार किए जाने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्रीमती सुशीला रोहतगी—	Shrimati Sushila Rohtagi . . .	5-6
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan . . .	6-7
श्री शिव नाथ सिंह	Shri Shivnath Singh . .	8
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar . . .	8-9
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar . . .	9-10
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe	10-11
श्री नाथूराम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha . . .	11
श्री मुल्की राज सैनी	Shri Mulki Raj Saini . . .	11
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga	11-12
खण्ड 2 से 15 और 1	Clauses 2 to 15 and 1 . .	12-13
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass—	
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohtagi . .	12
श्री राम हेडाऊ	Shri Ram Hedaoo . . .	13
श्री सरजू पांडे	Shri Sarjoo Pandey . . .	13

विषय	SUBJECTS	PAGE
सदस्य की गिरफ्तारी—	Arrest of Member—	
(श्रीमती गायत्री देवी)	(Shrimati Gayatri Devi) . . .	14
भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक—	Provident Funds (Amendment) Bill—	
विचार किए जाने का प्रस्ताव	Motion to consider—	
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohtagi . . .	14-15
श्री सरजू पांडे	Shri Sarjoo Pandey	15
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri . . .	15-16
श्री सी० सुब्रह्मण्यम्	Shri C. Subramaniam . . .	16
खण्ड 2, 3 तथा 1	Clauses 2, 3 and 1	16
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री सी० सुब्रह्मण्यम्	Shri C. Subramaniam . . .	16
आर्थिक प्रगति के नए कार्यक्रम के बारे में प्रस्ताव—	Motion Re. New Programme for Economic Progress—	
श्री सी० सुब्रह्मण्यम्	Shri C. Subramaniam . . .	17—19
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha . . .	20—22
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami . .	22—24
श्री राम सहाय पांडेय	Shri R. S. Pandey	24-25
श्री पी० गंगा रेड्डी	Shri P. Ganga Reddy . . .	25-26
श्री हरि किशोर सिंह	Shri Hari Kishore Singh . . .	26-27
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K. R. Varadaraja Rao . .	27—30
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . . .	31—34
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni . . .	34-35
श्री सतपाल कपूर	Shri Satpal Kapoor	35-36
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	36-37
श्री नरसिंह नारायण पांडेय	Shri Narsingh Narain Pandey . .	37-38
श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladhar Kotoki . . .	38

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अंकिनीडू, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)

अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)

अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)

अचल सिंह, श्री (आगरा)

अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)

अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)

अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)

अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)

अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)

अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)

अवधेश चन्द्र सिंह (फरुखाबाद)

अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)

आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)

आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)

आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसाहक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)

इस्माइल, हुसैन खां श्री (वारपेटा)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)

उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)

उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)

उलगनबी, श्री आर० पी० (वैल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)

एंगती, श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रूगढ़)

कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)

कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)

कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)

कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)

कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)

कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)

कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)

कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)

कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)

कर्ण सिंह डा० (ऊधमपुर)

कर्णी सिंह डा० (बीकानेर)

कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरूच्चिरापल्ली)

कलिंगारायार श्री मोहनराज (पोलाची)

कस्तुरे, श्री ए० एस० (खामगांव)

कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)

कांबले, श्री एन० एस० (पंढ़रपुर)

काबले, श्री टी० डी० (लातुर)

काकोडकर, श्री पुरूषोत्तम (पंजिम)

कामराज, श्री के० (नागरकोइल)

कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)

काले, श्री (जालना)

कावड़े, श्री बी० आर० (नासिक)

काहनडोल, श्री (मालेगांव)
किन्दर लाल, श्री, (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक, बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैशाल, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोत्ताशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन्, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा. श्री एम० वी० (हुसकोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजापुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (वर्दबान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)

चन्द्र गौडा, श्री डी० बी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका, प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइननुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयशक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)
जुल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एस० (पीरमाड़े)
जोरदर, श्री दिनेश (मालदा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुनझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चित्तौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डांडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर, (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बूलूर)
देव, श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्द, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)

पजनौर, श्री अरविन्द बाल (पांडीचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली, (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिबेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभदास (डाभोई)
पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पास्वान, श्री राम भगत (रासेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायन (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय, (राजनन्द गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई हाओकिप, श्री (ब्राह्म नीपुर)
पाटिल, श्री अान्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कांपरगांव)
पाटिल, श्री एस० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)

पाराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिक लाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरी)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह, (भीलवाड़ा)
बडे, श्री आर० व० (खरगांन)
बरूआ, श्री बेदब्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेठी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, (श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)

बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री वंशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जून, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री के० एम० (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री बी० (चिदाम्बरम)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)

मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद खुदाबक्श, श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसूफ़, श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ़, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ़० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शरद (जबलपुर)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेवसिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० बी० जी० (विशखापत्तनम)
राठिया, श्री उमेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन, श्री एस० (कुडलूर)
रामकवार, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिजनौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हेडाऊ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छपरा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बासगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (रावर्टसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई, ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)

राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, डा० बी० के० आर वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदंडा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लोर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफ़ल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फ़ूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बाल गोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटलबिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फ़रनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदुकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल, सिंह (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सैदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)

शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझुनु)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फ़तेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना श्री (मिजोरम)
सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
साधुराम, श्री (फ़िलौर)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)
सामिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचे ट्टिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतूल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर, (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फ़ैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फ़रपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फ़ूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधुवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती बी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावलु, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकैरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)

सेन, डा० रानेन (बारसाट)

सेन, श्री राबिन (आसनसोल)

सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)

सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)

सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)

सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)

सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)

सोहनलाल, श्री टी० (करौलबाग)

स्टीफ़न, श्री सी० एम० मुवत्तु (पुजा)

स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)

स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मुदुरै)

स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोपपल)

स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

(ह)

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)

हनुमन्तैया, श्री के० (बंगलौर)

हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)

हरि सिंह, श्री (खुर्जा)

हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)

हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)

हाल्दर, श्री कृष्णचन्द, (औसग्राम)

हाशिम श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)

हुडा, श्री नुरुल (कछार)

होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एस० ढिल्लों

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री एच० के० एल० भगत

श्री इससाक सम्भली

श्री वसंत साठे

श्री सी० एम० स्टीफ़न

श्री जी० विश्वनाथन्

महासचिव

श्री श्याम लाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री, तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रक्षा मंत्री	श्री स्वर्ण सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्री	श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री .	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरामैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी

मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री आर० के० खाडिलकर
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० नुरूल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त

श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० आर० गणेश
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	महिषी डा० सरोजिनी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मंत्रालय, कार्मिक और शासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एल० एम० त्रिवेदी

उप-मंत्री

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिनपाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० माझी
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ़० एस० मोहसिन

1273 LS—2

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री	प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटस्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 31 जुलाई, 1975/9 श्रावण, 1897 (शक)

Thursday, July 31, 1975/Sravana 9, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा किये गये व्यय के बारे में विवरण और वर्ष 1973–74 के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : श्री टी० ए० पाई की ओर से मैं विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय द्वारा किराये पर लिये गये भवन पर हुए खर्च के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 9905/75]

उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 9906/75]

उत्तर में शुद्धि करने के बारे में विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिन्हा): श्री विद्या चरण शुक्ल की ओर से, मैं (एक) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिवों के चयन के बारे में श्री जनेश्वर मिश्र के तारांकित प्रश्न संख्या 658 के अनुपूरक प्रश्न के 16 अप्रैल, 1975 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने और (दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 9907/75]

राष्ट्रीय राजपथ अधिनियम, 1956 के अधीन अधिसूचनाएं

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : मैं राष्ट्रीय राजपथ अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) सां० आ० 379 (ङ) जो दिनांक 25 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) सां० आ० 380 (ङ) जो दिनांक 25 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 9908/75]

सरकारी आश्वासनों के बारे में विवरण

संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मन्त्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गयी प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाला निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :

चौथी लोक सभा

(एक) विवरण संख्या 41 दसवां सत्र, 1970

पाँचवीं लोक सभा

(दो)	विवरण संख्या 30	चौथा सत्र, 1972
(तीन)	विवरण संख्या 23 .	सातवां सत्र, 1973
(चार)	विवरण संख्या 17 .	आठवां सत्र, 1973
(पांच)	विवरण संख्या 15 . . .	नौवां सत्र, 1974
(छः)	विवरण संख्या 16 .	दसवां सत्र, 1974
(सात)	विवरण संख्या 9 . . .	ग्यारहवां सत्र, 1974
(आठ)	विवरण संख्या 8 . .	बारहवां सत्र, 1974
(नौ)	विवरण संख्या 7	तेरहवां सत्र, 1975
(दस)	विवरण संख्या 8	तेरहवां सत्र, 1975

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9909/75]

REVIEW AND ANNUAL REPORT OF BHARAT COKING COAL LTD. DHANBAD FOR 1973-74, ACCTTS. OF COAL BOARD FOR 1971-72 AND A STATEMENT

Prof. Siddeshwar Prasad: Sir, I beg to lay on the Table—

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(i) Review by the Government on the working of the Bharat Coking Coal Limited, Dhanbad, for the year 1973-74.

(ii) Annual Report of the Bharat Coking Coal Limitd Dhanbad, for the year 1973-74 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library. *See* No. LT-9910/75]

(2) (i) A copy of the Certified Accouns (Hindi and English versions) of the Coal Board for the year 1971-72 together with the Audit Report thereon.

(ii) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the above document.

[Placed in Library. *See* No. LT-9911/75]

STATEMENT RE. CORRECTION OF ANSWER.

Shri Sukhdev Prasad: Sir, I beg to lay on the Table A statement (i) correcting reply given on the 10th April, 1975 to Unstarred Question No. 5841 by Shrimati Bhargavi Thankappan, regarding allocation of iron and steel to Kerala and (ii) giving reasons for delay in correcting the reply.

[Placed in Library. *See* No. LT-9912/75]

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA.

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देता हूं :—

(एक) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 28 जुलाई, 1975 को पास किये गये विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1975 के बारे में लोक सभा से कोई सिफ़ारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 28 जुलाई 1975 को पास किये गये विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1975 के बारे में लोक सभा से कोई सिफ़ारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 28 जुलाई, 1975 को पास किये गये कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1975 के बारे में लोक सभा से कोई सिफ़ारिश नहीं करनी है।

(चार) कि राज्य सभा ने 30 जुलाई, 1975 की अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पास किया जिसके द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति में राज्य सभा के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल लोक सभा के अगले सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ाया गया है।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन
REPORTS OF COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS
70वाँ, 71वाँ तथा 72 वाँ प्रतिवेदन

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) हिन्दुस्तान फ़ोटो फ़िल्म्स मैनुफ़ैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के सम्बन्ध में समिति के 55वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 70वां प्रतिवदन।

(2) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड (विपणन तथा वितरण) के सम्बन्ध में समिति के 50वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 71वां प्रतिवेदन।

(3) सरकारी उपक्रमों की भूमिका तथा उपलब्धियों के सम्बन्ध में समिति के 40वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में 72वां प्रतिवेदन।

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन

REPORT OF PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता--उत्तर-पूर्व) : मैं 179वां प्रतिवेदन पोलियो वाइरस वैक्सीन के उत्पादन (स्वास्थ्य विभाग) के बारे में भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 1972–73 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) के पैराग्राफ़ 32 पर लोक लेखा समिति का 179वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

कृषि पुनर्वित्त निगम (संशोधन) विधेयक

AGRICULTURAL REFINANCE CORPORATION (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

> "कि कृषिक पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह विधेयक कृषिक पुनर्वित्त आयोग को अपनी संवर्धक गतिविधियों को बढ़ाने तथा भविष्य में विकास कार्य को और अधिक प्रभावशाली रूप में लाने के लिए लाया गया है । प्रस्तावित संशोधनों से अधिनियम की अपर्याप्तता समाप्त होगी और वह कृषिक पुनर्वित्त निगम को पांचवीं योजना में और बाद में कृषि के विकास में अपनी भूमिका निभाने में सक्षम बनायेगा ।

कृषिक पुनर्वित्त निगम कृषिक पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत कृषिक वित्त व्यवस्था करने के लिए मध्यम और दीर्घकालीन ऋणों के लिए संसाधन जुटाने के लिए बनाया गया था । भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय भूमि विकास बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और जीवन बीमा निगम मुख्य शेयरधारी हैं । इनमें से राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय भूमि विकास बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक निगम से पुनर्वित्त सुविधाओं की पात्र संस्थान हैं ।

निगम (i) सदस्यों से शेयर पूंजी, (ii) केन्द्रीय सरकार से ऋण (iii) बांड जारी करके खुले बाजार से ऋण लेकर (iv) भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीय कृषिक ऋण (दीर्घकालीन परिचालन) निधि से ऋण और (v) भारतीय रिजर्व बैंक से अस्थायी ऋण लेकर अपना धन जुटाता है ।

शुरू के वर्षों में जबकि इसने छोटी सिंचाई योजनाओं और भूमि के विकास के लिए मुख्य रूप से सहायता दी, हाल के वर्षों में जानबूझ कर इसकी गतिविधियों का विविधीकरण किया गया और डेरी विकास, मछली पालन, भांडागारों और कृषि के अलावा कार्यों के लिए सहायता दी गई ।

कृषि ऋण सम्बन्धी कार्यकारी दल ने पांचवीं योजना में कृषि ऋणों के लिए 600 करोड़ रुपये का कार्यक्रम कृषिक पुनर्वित्त निगम के लिए रखा है । यह कार्यक्रम इस आशा से बनाया गया है कि निगम अपनी गतिविधियां ऐसे क्षेत्रों में चलाये जहां संसाधनों का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है । यह वहां विविध योजनाओं को सहायता देगा । अन्तर्राष्ट्रीय विकास निधि ने पांचवीं योजना में सीधे ऋण देने के लिए 750 लाख डालर कृषिक पुनर्वित्त निगम के लिए स्वीकृत किये गये हैं ।

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने "वन उत्पाद——मानव निर्मित वन" पर अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में राज्य सरकारों द्वारा वन निगमों की स्थापना की आवश्यकता का उल्लेख किया है और सुझाव दिया है कि कृषिक पुनर्वित्त निगम उन्हें दीर्घकालीन ऋण दे । इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए 'अर्हता प्राप्त संस्थाओं' की परिभाषा को, इस प्रकार की संस्थाओं को भी कृषिक पुनर्वित्त निगम से सीधे ऋण लेने की अनुमति देकर, और व्यापक बनाया गया है । निगम के कार्य के बढ़ने की दृष्टि से और पांचवीं योजना में उसकी बढ़ी हुई पैसे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निगम को अपनी निधि बढ़ा कर और संसाधन जुटाने होंगे । इसके लिए प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाना होगा । अतः अधिनियम की धारा 5 में संशोधन किया जा रहा है और प्राधिकृत पूंजी की सीमा 100 करोड़ की गई है ।

अधिनियम की धारा 20 का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे निगम केन्द्र/राज्य सरकारों से ऋण ले सके जो बाद में अनुदान, रियायती दर पर राज सहायता, विशेष कार्य के लिए अनुदान आदि में परिवर्तित किया जा सके । वर्तमान उपबन्धों के अनुसार कृषिक पुनर्वित्त निगम एक पुनर्वित्त एजेन्सी है जो अर्हता प्राप्त संस्थाओं की दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता की पूर्ति करती है । धारा 22(5) में निहित उपबन्धों के प्रस्तावित संशोधन के द्वारा निगम को विशेष मामलों में कार्यकारी पूंजी देने की अनुमति दी गई है । यथापि यह कुछ चुनी हुई समग्र योजनाओं के सम्बन्ध में ही किया जायेगा जहां कार्य-पूंजी दीर्घकालीन ऋणों के साथ-साथ दी जायेगी । अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों को सुव्यवस्थित और स्पष्ट करने के लिए और संशोधन करने का विचार है ।

सुझावों के अनुसार कृषिक पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 में संशोधन करना आवश्यक है जिससे निगम के बढ़ते हुए कार्य में सुविधा देने, इसे विकासोन्मुख और प्रेरक बैंक का रूप देने, वर्तमान कानून की कमियों को दूर करने, जिससे वह सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों में हुए हाल के परिवर्तनों के अनुरूप हो जायें; और ऋण के प्रार्थनापत्रों को शीघ्र निपटाने की शक्ति देने में मदद मिल सके ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कृषिक पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लिचेरी) : मैं इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं क्योंकि इसके उद्देश्य प्रशंसनीय हैं । विधेयक में कृषिक पुनर्वित्त निगम के विकासशील और संवर्धक भूमिका पर जोर दिया गया है । इसके द्वारा कुछ संस्थान कृषिक पुनर्वित्त से सीधे ऋण ले सकेंगे । इस विधेयक के उपबन्धों के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक इसकी प्राधिकृत पूंजी बढ़ा कर 100 करोड़ कर सकता है ।

इस निगम ने गत 13 वर्षों में बहुत सी योजनाएं प्रारम्भ की हैं और इसकी उपलब्धियां कुछ कम नहीं हैं । 1973 में प्रस्तुत किये गये 10वें प्रतिवेदन में बताया गया है कि इसे 5.3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करनी है, 97,000 नलकूप लगाने हैं, 1,09,000 कुएं खोदने हैं और 2,12,000 पम्प सेट लगाने हैं । 11वें प्रतिवेदन में बताया गया है कि इन्होंने अधिक धन व्यय करके स्थिति सुधार ली है उन्होंने लगभग 92 करोड़ रूपये खर्च किये हैं । पांचवीं योजना अवधि में इस निगम के माध्यम से 800 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है । पहले 900 करोड़ रुपये का अनुमान था ।

निगम की असफलता के मुख्य तीन कारण हैं। उसकी सबसे बड़ी असफलता देश के पिछड़े क्षेत्र को सहायता पहुंचाने के बारे में है। इसने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के प्रति घोर उदासीनता का रुख अपनाया है। एक और शिकायत यह है कि निगम द्वारा खर्च किये गये अधिकतर पैसे को बड़े जमींदार हड़प गये हैं। 5 एकड़ से कम भूमि वाले लोगों को केवल 10 प्रतिशत राशि मिल पाई है।

इसकी दूसरी असफलता यह है कि निगम अपने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने में अयोग्य रहा है। कृषिक पुर्नवित निगम के चेयरमैन डा० हजारी का कहना है कि निगम को कभी पैसे की कमी नहीं हुई। परन्तु यह कृषि विकास के लिए इस धन को लाभकारी रूप में खर्च करने में असफल रहा है। इन सभी त्रुटियों को दूर किया जाना चाहिये।

10वें प्रतिवेदन में बताया गया है कि दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में निगम के निवेश का 83 प्रतिशत धन व्यय किया गया है। मध्य क्षेत्र में, जिसमें मध्य प्रदेश जैसा पिछड़ा क्षेत्र आता है और उस निगम द्वारा सहायता मिलनी चाहिये, केवल 14 प्रतिशत व्यय किया गया है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे पूर्वी क्षेत्र में 4 प्रतिशत और नागालैण्ड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय में 0.5 प्रतिशत व्यय किया गया है। इससे स्पष्ट है कि सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य सरकारी संस्थानों द्वारा दिये गये धन को पिछड़े क्षेत्रों में लगाने में निगम असफल रहा है।

डा० हजारी ने निगम के कार्य में सुधार के लिए कुछ सुझाव भी दिये हैं। एक सुझाव है कि भूमिगत पानी का अधिकाधिक उपयोग किया जाये। उनका सुझाव है कि इस क्षेत्र की योजनाओं को निगम सहायता दे। उनका दूसरा सुझाव है कि विस्तार सेवाओं को विकासशील गतिविधियों के साथ जोड़ दिया जाये। सरकार इन सुझावों के बारे में क्या कर रही है?

"ऋण के अन्धाधुन्ध वितरण का कोई लाभ नहीं है।" निगम यही कुछ कर रहा है। क्या सरकार के पास इसके लिये कोई योजना है। सरकार यह बताये कि वह उस दिशा में क्या करने जा रही है जिससे निगम के कार्यों का लाभ परम्परा गत पिछड़े भागों को भी मिल सके और जो आज भी कई प्लानों और स्कीमों के बावजूद भी पिछड़े हुए हैं।

बहु उद्देश्यीय परियोजनाओं को बढ़ाया जाये। निगम को कृषि क्षेत्र में उन परियोजनाओं को शुरू करना चाहिये। उदाहरण के तौर पर इसे भूमि को कृषि योग्य बनाने की योजना अपने हाथ में लेनी चाहिये। इसे मुर्गीपालन और भेड़-बकरी पालने तथा डेरी कार्य की योजनाओं के प्रस्तावों को अपने हाथ में लेना चाहिये। यदि यह सब कुछ किया जाता है और ये मुख्य कमियां दूर की जाती हैं तो निगम देश के लिये कुछ लाभप्रद कार्य कर सकेगा।

अन्त में मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर पुनः दिलाना चाहता हूं कि यह देश में सबसे अधिक पिछड़े क्षेत्रों की सहायता करने में असफल रहा है। इसे स्थापित करते समय इसका उद्देश्य ऐसा करना था। दूसरे यह देश में पिछड़े हुए किसानों की सहायता करने में भी असफल रहा है। इसके विपरीत इसने देश में बड़े जमींदारों की अपने 90 प्रतिशत निवेश से सहायता की है। इसमें सुधार होना चाहिये। ऋण का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिये। मुझे आशा है कि सरकार इस बारे में कुछ करेगी।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu): Some changes are being made in the nomenclature of Agricultural Refinance Corporation and the words "And Development" are being added. This Institution is vital for the development of agriculture. It advances loans not to the individuals but to such institutions as are related to agriculture. This National Agricultural Commission has chalked out a big programme for small farmers. Such types of institutions should be set up in villages for catering to the needs of small agriculturists in respect of loans and marketing of produce.

Some parts of the country are still not being covered by this Corporation. Those areas should also get the benefits of this Institution. But there are certain short comings in its working. For example, it has not properly utilised the working capital by advancing loans. Secondly, it has not paid proper attention towards the desert areas. Large parts of Rajasthan and Madhya Pradesh are deserts and techniques of farming have not made much improvement, production has not increased and as a result there of the farmers of that area have become a burden on the economy of the country.

This Corporation can prove very useful for the villages. It can help in the electrification, construction of drains and wells etc. in rural areas. A programme had been evolved to develop the eastern areas of Rajasthan at district level. This programme was not implemented due to some technical defect, otherwise, Rajasthan would have become self-sufficient in the matter of food production. The Agricultural Refinance Corporation can come to the rescue of such programmes. It can help in developing backward areas.

With these words, I support the Bill.

श्री के० मायातेवर : (डिंडीगुल) : मैं विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं। हम जानते हैं कि किसान देश की अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ हैं। लेकिन वह ऋण में पैदा होता है और ऋण में ही मर जाता है। उसकी स्थिति अत्यन्त दयनीय असहाय तथा खतरनाक है। जनसंख्या पैदावार की अपेक्षित कई गुना अधिक बढ़ रही है। हमें किसान का वित्तपोषण करना चाहिये ताकि पैदावार बढ़ सके। अभी तक इस दिशा में पूर्णतया असफल रहे हैं।

हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कर दिया है लेकिन अभी तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। बैंककारी संस्थानों में अभी भी वही नौकरशाह प्रबन्धक हैं। प्रशासनिक कार्यों में भी क्रान्तिकारी सुधार किये जाने चाहिये। रिजर्व बैंक से लेकर साधारण सहकारी समितियों तक में ये सुधार किये जायें।

ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का ऋण देने के बारे में अनेक शिकायतें मिली हैं। तमिलनाडु में इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपये दिये गये लेकिन उनका उचित उपयोग नहीं हुआ है। वहां द्रमुक सरकार का समर्थन करने वाले किसानों को ही ऋण दिया जाता है। मुझे यह भी पता चला है कि रिजर्व बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने के लिए कुछ बनावटी और अव्यवहारिक शर्तें रखी हैं। यदि दो किसानों के पास भूमि में 850 फुट की दूरी है तो दोनों ही किसान ऋण प्राप्त करने या पुराने कुओं की मरम्मत के लिये ऋण नहीं ले सकते।

जहां तक शुष्क भूमि का प्रश्न है यदि दो किसानों की भूमि में लगे कुओं की दूरी 480 फुट के बीच है तो वे पुराने कुओं को गहरा करने या नये कुओं की खुदाई के लिये ऋण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। आप 3 एकड़ से कम भूमि वालों को ऋण नहीं देते हैं इस से तो ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का गला ही घुट जायगा। क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या के 65 प्रतिशत भाग के पास केवल 3 एकड़ या उस से भी कम भूमि है। एक अन्य शर्त रिजर्व बैंक ने यह लगायी है कि जिस किसान ने अपनी भमि में पम्प या कुआं नहीं लगाया है उसे ऋण प्राप्त नहीं हो सकता। तमिलनाडु के किसानों को इन सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पुराने कुओं को गहरा करने और नये कुओं को लगाने के मामले पर सरकार को सहानुभूतिपूर्ण विचार करना चाहिये। इन शर्तों में ढील दी जानी चाहियें।

श्रीमती गांधी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम में एक बात यह भी है कि किसानों को ऋण मुक्त किया जाये। अब किसानों को यह अधिकार मिल गया है कि वे सूदखोरों आदि से लिये गये ऋण को वापस नहीं करेंगे। लेकिन बहुत से किसानों ने सहकारी समितियों सरकारी संस्थानों या भूमि बन्धक बैंकों से ऋण ले रखे हैं। जिन किसानों के पास 3 एकड़ या उससे कम भूमि हैं उन्हें इस ऋण से मुक्त किया जाये।

मैंने एक बार फसल बीमा पालिसी जारी किये जाने का अनुरोध किया है। बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ, संसद् सदस्य, मंत्रीगण आदि यही बातें कहते आ रहे हैं। किसानों के हितों के संरक्षण के लिये यह बहुत आवश्यक है।

इसी प्रकार किसान के लिये पशुधन भी अत्यन्त आवश्यक है। अतः मेरा अनुरोध है कि पशु बीमा पालसी भी जारी की जानी चाहिये।

दक्षिण में पानी की बहुत जरूरत है। मद्रास नगर और तमिलनाडु में पेय जल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। हमारे देश में विपरीत परिस्थितियां हैं, उत्तर में बाढ़ आती है तो दक्षिण में सूखा पड़ता है। इस स्थिति से उभरने के लिये गंगा-कावेरी परियोजना को कार्यान्वित करना अत्यन्त आवश्यक है। यह कार्य यथा सम्भव शीघ्र होना चाहिये। इस परियोजना का विस्तार ताम्रवर्णी नदी तक किया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh): While supporting this Bill I want to give some suggestions. Previously, we used to call Land Mortgage Banks and now they are Land Development Banks. They receive money from the Reserve Bank and some times from the World Bank and in return they advance loans to farmers for deepening wells or to instal pump sets. But loans are advanced only to those farmers who are having 5 acres of irrigated land or 10 acres of unirrigated land. Infact, small farmers are in need of these loans. It is a very disappointing feature that loans have been advanced to persons who have mortgaged their land. In my own district 167 persons received loans at the rate of Rs. 8700/- per head but not a single person out of them dug new wells and they misused the money; on the other hand poor farmers did not get any loans.

[Shri Nathu Ram Ahirwar]

Reserve Bank has imposed improper conditions. If two farmers are having wells within a distance of less than 1000 feet, they are not entitled for loan.

Procedure for getting loan from the land development bank is very complicated. An illiterate farmer is required to fill a form consisting of 20 pages. He has to pay Rs. 15/- to Rs. 20/- for getting it filled. Then he is very much harrassed by clerks and other officials. His application for loan is considered only when he has paid Rs. 300/- to Rs. 400/- as bride. After a loan has been sanctioned, a cheque is issued in the name of farmer in a bank. The farmer has to experience lot of inconvenience at the hands of bureaucracy. Much longer time is taken to make the payment to the farmer. I suggest that a agency may be set up by the Centre to look after the work relating to payment of loans to farmers.

With these words, I support the Bill.

श्री वसंत साठे (अकोला) : महोदय, इस विधेयक से कृषि क्षेत्र के विकास में निश्चय ही सहायता मिलेगी क्योंकि इसके लिये निर्धारित पूंजी को बढ़ा कर 100 करोड़ रुपये किये जाने का प्रस्ताव है । "और विकास" शब्दों के जोड़े जाने से कृषिक पुनर्वित्त का पूर्ण उद्देश्य ही बदल गया है। अब मुख्य उद्देश्य विकासोन्मुख हो गया है। यदि विकास ही हमारा मुख्य उद्देश्य है तो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों की अधिक सहायता करने की जरूरत है। अभी तक ड़े किसानों को ही इस निगम द्वारा लाभ पहुंचा है। मेरा सुझाव है कि छोटे किसानों को चीजों के रूप में सहायता दी जानी चाहिये। अब तो विधेयक में कार्यचालन पूंजी भी दिये जाने का उपबन्ध है। यह बड़ी अच्छी बात है। ऐसे संस्थानों के पास ट्रेक्टर, खाद और बीज जैसी चीजें होनी चाहियें जो पांच एकड़ या उससे कम भूमि वाले किसानों को दी जायें। आज एक बैलों की जोड़ी की कीमत 2000 रुपये है और गरीब किसान के लिये उसे खरीद पाना बहुत कठिन है। बाद में किस्तों में यह धन वापस लिया जा सकता है। इस प्रकार यदि पुनर्वित्त निगम के पास ऐसी व्यापक योजना हो तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्रांतिकारी सुधार किये जा सकते हैं। परिवार एकक स्तर पर दुग्ध उत्पाद और मुर्गी पालन के कार्य को बढ़ाया जा सकता है। तभी सच्ची आर्थिक प्रगति सम्भव है। खेतीहीन मजदूर को उत्पादक आस्तियां उपलब्ध करायी जायें। आप केवल बाजार ऋणों पर ही निर्भर न करें।

मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आपके सहकारी बैंक केवल धोखा हैं। क्योंकि वे केवल बड़े किसानों को ही सहायता देते हैं। भूमि बन्धक बैंक सहकारी बैंकों के सभापति तथा बोर्ड के सदस्य बड़े-बड़े जमींदार ही होते हैं। आपातकालीन स्थिति में तो निम्नतम स्तर पर भी सुधार किया जाना चाहिये।

एक भूमि सेना बनायी जानी चाहिये। जो देश की बड़ी-बड़ी परियोनाओं, जैसे चम्बल घाटी परियोजना, राजस्थान नहर परियोजना आदि योजनाएं या जो मरुस्थल क्षेत्र हैं उनके कार्य में इस सेना को लगाया जाना चाहिये। देश में लाखों बेरोजगार युवक हैं वे इस भूमि सेना में अच्छा योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार हम अपनी विशाल जनशक्ति का पूरा फायदा उठा सकते हैं।

जहां तक जल संसाधनों के उपयोग का सम्बन्ध है गंगा-कावेरी को मिलाने का कार्य अत्यन्त आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसका अनुमोदन कर दिया था लेकिन यहां

उसे अव्यावहारिक कह कर छोड़ दिया गया। मेरा निवेदन है कि सरकार उस पर पुनर्विचार करे। डा० के ० एल० राव० आधुनिक भगीरथ का कार्य करने में सक्षम हैं। हमारे अन्दर जोश हो तो गंगा को कावेरी तक ले जाना कठिन नहीं है।

उन्हें सहायता धन के रूप में न दीजिए अपितु जलकूप लगाने के लिये इंजीनियरी सेवाओं के रूप में दीजिए ताकि उसका दुरुपयोग न हो पाये।

जमीन के अलग अलग हिस्सों में होने के स्थान पर जोतों को मिलाया जाना चाहिये।

मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय इन बातों पर ध्यान देंगे।

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur): The amendment in respect of Agricultural Refinance Corporation was in fact very much needed. Our country is mainly an agricultural country.

Initially, the corporation was set up with a capital of 25 crores and now its capital is being raised to Rs. 100 crores and it could be increased further according to the needs.

Stress has been laid on the need to help the small and marginal framers. But this institution is not going to finance any individual farmer. It finances only those agencies which are engaged in various development programmes.

One important change proposed to be made is that the amount of grant on any gift received by the corporation would not be considered as income and it would not be taxed. Some other consequential changes are also being made. It is hoped that these changes would help in the development of agriculture in the country.

Shri Mulki Raj Saini (Dehradun): I support this Bill Shri Mirdha has tried to remove a lot of confusions. The biggest problem before the small and marginal farmers is that of finance. They have to take loans from private money-lenders who charge exhorbitant rates of interest. Therefore, the necessity of setting up of a body which could relieve these farmers and save them from the clutches of money-lenders, who charge net 9, 12 or 15 per cent interest per year but 3 per cent per month. They have to pay interest at 36 per cent to 144 per cent per year.

The present loan facility for farmers is not satisfactory. The procedure is very cumbersome and the farmers are unnecessarily harassed. A pump worth Rs. 3200 costs a farmer Rs. 3700. In other words 400 to 500 rupees go to banks and firms. There should be helping hands to help the farmers in filling up farmers etc. The corruption in this sphere should be stopped.

The farmers do not have adequate marketing facilities. If the corporation can provide this facility to the farmers it would be a great boom for them.

अध्यक्ष महोदय : कांग्रेसी सदस्य वक्ताओं की सूची में परिवर्तन कराते रहते हैं।

Shri M. C. Daga (Pali): When this Corporation was set up it was hoped that it would lead a balanced development of the country and the regional imbalances would disappear. But these hopes have been belied. Out of Rs. 400 crores disbursed by the the Corporation, three States have benefitted most, *viz.*, Maha-

[Shri M. C. Daga]

rashtra, Gujarat and Tamil Nadu. This kind of discrimination should go. The Government should pay more attention to the removal of regional imbalances and the backward states should get more help.

[श्री जी० विश्वनाथन पीठासीन हुए]

[SHRI G. VISHWANATHAN *in the Chair*]

Shrimati Sushila Rohatgi: I agree that there are disparities among various sections of our society and that there were regional imbalances. Government is making every effort to remove those anomalies but the pace of the work had been rather slow. Now this pace would be accelerated.

The efficient functioning of ARC required co-ordination between various agencies implementing the programme as also between the States and the Centre. The electricity boards in various States and financial institutions could be brought round a table and asked to coordinate their work.

I would like to inform the Members that Government had paid more attention to the backward regions of the country. Now almost one-third of the total number of schemes undertaken by ARC are meant for backward regions.

Similarly ARC had paid attention towards the needs of landless labourers and small farmers in the rural areas. About 100 schemes have been undertaken for their benefit. We would see that the number of those schemes increases so that a larger number of persons could be benefited.

In order to see that the schemes under ARC were implemented effectively, we had started two centres, one at Lucknow for north-eastern region and the other at Calcutta for eastern region. It has improved the functioning of ARC.

An evaluation cell had also been established with a view to assess the functioning of the Corporation from time to time.

I am happy that the working of the ARC has got proper recognition and therefore the International Development Association had since sanctioned a direct line of credit to Agricultural Refinance Corporation.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है, "कि कृषिक पुनर्वित निगम विधेयक, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब विधेयक पर खण्डवार चर्चा होगी प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 15, खण्ड 1 और अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 2 से 15, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 15, clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं प्रस्ताव करती हूं "कि विधेयक को पारित किया जाये"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

Shri Ram Hedaoo (Ramtek): I feel that the benefits of Agricultural Refinance Corporation did not reach the small and marginal farmers and the landless labourers. These were limited to the big farmers only. These big farmers had taken loans in the name of agricultural development activities but misused the farming, poultry farming etc.

I suggest that the needs of small and marginal farmers should be kept in view and necessary facilities should be provided to them for the purposes of seeds, implements, fertilizers and for the marketing their products also. They should also be helped in implementing small irrigation schemes.

More attention should be paid towards backward and undeveloped regions. Necessary finance should be provided for the development of agricultural facilities there.

Most of the agricultural labour has no work for about eight months in a year. They should be provided necessary funds to start cottage industries like dairy farming, poultry farming etc.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur): The Government should see that the benefits of Agricultural Refinance Corporation reach the small and marginal farmers as well.

Small farmers and landless labourers should not be asked to furnish guarantee at the time of sanctioning a loan. They should receive loans by mortgaging standing crops.

The bill needs basic changes. Unless these are introduced, the purpose would not be achieved. I suggest that a more comprehensive Bill should be brought for that purpose.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सदस्य की गिरफ्तारी

ARREST OF MEMBER

सभापति महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि अध्यक्ष को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व और बीमा विभाग, नई दिल्ली, के उपसचिव से दिनांक 30 जुलाई, 1975 को निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुआ है :—

> "मुझे आपको सादर सूचित करना है कि 1975 के अध्यादेश संख्या 6 द्वारा यथासंशोधित, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 की धारा 3(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने यह निदेश देना अपना कर्त्तव्य समझा है कि श्रीमती गायत्री देवी, सदस्य लोक सभा को किसी ऐसे ढंग से कार्य करने से रोकने के लिए, जो विदेशी मुद्रा की वृद्धि में बाधक हो, नजरबन्द किया जाये ।
>
> श्रीमती गायत्री देवी को तदनुसार 30 जुलाई, 1975 को मध्याह्न पश्चात् 4 बजे हिरासत में लिया गया और उन्हें इस समय तिहाड़ जेल, दिल्ली में रखा गया है ।"

भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक

THE PROVIDENT FUNDS (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : केन्द्रीय सिवल सर्विस (पेंशन) निगम, 1972 के नियम 10 में व्यवस्था की गई है कि कोई पेंशनधारी अवकाश प्राप्ति से पहले केन्द्रीय सर्विस श्रेणी 1 का सदस्य रहा हो और यदि वह अवकाश प्राप्ति की तिथि से दो वर्ष पूर्व कोई वाणिज्यिक रोजगार प्राप्त करना चाहता हो तो उसे इस हेतु राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी । इस प्रकार की स्वीकृति के बिना किसी पेंशनभोगी को कोई पेंशन नहीं मिलेगी । प्रशासमिक शुद्धता के हित में भविष्य निधि के हकदार केन्द्रीय सिविल सर्विस श्रेणी 1 के सदस्यों पर भी इस प्रकार के प्रतिबंध लगाने को प्रस्ताव किया गया है ।

विधेयक की मुख्य बातें यह हैं कि यदि कोई सरकारी अधिकारी केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना अवकाश प्राप्ति की तिथि से दो वर्ष के अन्दर-अन्दर कोई वाणिज्यिक रोजगार प्राप्त करे तो भविष्य निधि से सरकारी अंशदान प्राप्त करने का वह अधिकारी नहीं होगा ।

सेवानिवृत्त केन्द्रीय सरकारी अधिकारी को वाणिज्यिक रोजगार प्राप्त करने की स्वीकृति देते अथवा न देते हुए केन्द्रीय सरकार कुछ बातों पर ध्यान रखेगी जैसे कि (क) रोजगार किस प्रकार का है तथा मालिक का पूर्व ब्यौरा क्या है; (ख) क्या इस रोजगार में उसके कर्त्तव्य ऐसे होंगे जिससे उसका सरकार से कोई विरोध हो जाये; (ग) क्या अधिकारी के अपने नियोजक से इस प्रकार के संबंध रहे हैं जिससे यह संदेह पैदा हो कि उस अधिकारी ने उस मालिक का पक्ष लिया है ।

यदि ऐसा सेवानिवृत्त केन्द्रीय सरकारी अधिकारी सरकार की अनुमति बिना सेवानिवृत्ति के दो वर्ष के अन्दर कोई वाणिज्यिक रोजगार प्राप्त करें तो वह इस प्रकार के सरकारी अंशदान का अधिकारी नहीं होगा ।

मुझे विश्वास है कि इस विधेयक को सदन का समर्थन मिलेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक विचार के लिये प्रस्तुत करती हूं :

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur): I support this Bill. This measure should rather have come earlier. There are many high ranking Government officers who work with private firms after their retirements and receive fat salaries. The fact is that influence of the officers concerned while in service are exploited by these companies. Some times they were instrumental in doing things which were against the interests of the Government.

The Bill should be made effective in regard to officers who retired after the date of its enforcement I would like that officers who are presently working with the firms should also be brought within the purview of the Bill.

The restrictions in the Bill should be made more stringent. The honest officers should be given assistance and other benefits so that after their retirement they may not be compelled to seek employment in any private Company. The private firms give them employment for feathering their own nest.

The decision given by the High Court should be honoured, and those employees should be given all benefits. Several cases regarding provident fund are pending for the last ten years. We have asked the authorities several times to settle these cases but nothing tangible has been done. The hon. Minister should consider bringing a comprehensive Bill in this regard so that all problems may be solved.

Usually we find that mostly Class-I officers and other such persons get jobs in private firms.

I support this Bill. The Hon. Minister should clearly tell us as to why the decision is not being taken about Federation Employees. What steps are being taken to remove all higher officers working in big firms?

Shri Ramavatar Shastri (Patna): A huge amount of Provident Fund is outstanding against several Companies and firms. Inspite of many laws passed by the Government in this regard, the workers have not yet been paid their dues. The main reasons in that most of the officers in Regional offices are corrupt. They

[Shri Ramavatar Shastri]

do not cover all the factories and establishments under it. They receive money from the factory and mill owners and do not touch them.

It is my humble request that while making laws and taking decisions, the interests of the workers should be kept in mind. Their interests should be protected. The outstanding amount on account of provident fund should be paid to workers immediately. All corrupt practices should be checked. The provisions of this Bill should be strictly implemented. It will serve the purpose only then.

वित्त मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम) : यह बहुत ही साधारण तथा विवाद-रहित विधेयक है जो कुछ सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है, उसे उन सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू किया जा रहा है जो भविष्य निधि का अर्जन करेंगे ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

सभापति महोदय : क्योंकि कोई संशोधन नहीं है, मैं सभी खंडों को मतदान के लिए एक-साथ रखूंगा । प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2, 3 तथा 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 2, 3 तथा 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2, 3 and 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक पारित किया जाये"

सभापति महोदय : प्रश्न है :—

"कि विधेयक पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

आर्थिक प्रगति के नये कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव

MOTION RE: NEW PROGRAMME FOR ECONOMIC PROGRESS

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा प्रधान मंत्री द्वारा 1 जुलाई, 1975 को घोषित आर्थिक प्रगति के नए कार्यक्रम पर, जो 28 जुलाई, 1975 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

यह 20 सूत्री कार्यक्रम आपातकालीन स्थिति के दौरान प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों का पता लगाने तथा योजनाओं को समयबद्ध आधार पर छः महीनों के अन्दर कार्यान्वित करने के उद्देश्य से बनाया गया है ।

प्रश्न यह है कि 20 सूत्री कार्यक्रम बनाने की अब क्या आवश्यकता महसूस हुई ? इसके लिए हमें गत तीन-चार वर्षों की घटनाओं पर विचार करना होगा । किसी राष्ट्र की प्रगति के लिए दो बातें बहुत जरूरी है । पहली बात राष्ट्रीय विश्वास तथा दूसरी राष्ट्रीय अनुशासन की है । आत्म-विश्वास परिश्रम करके ही प्राप्त किया जा सकता है । उदाहरण के लिए हम 1971 में आये संकटों का, जैसे बंगला देश से शरणार्थियों का आना, उन्हें पुनः वापस भेजना तथा यहां उनके पुनर्वास आदि का उल्लेख कर सकते हैं ।

उसके पश्चात् पाकिस्तान से युद्ध हुआ । 1971 की इन घटनाओं से हमें आत्म-सम्मान तथा राष्ट्रीय सम्मान मिला है । इस प्रकार की महान उपलब्धियों पर कोई भी राष्ट्र गर्व कर सकता है ।

इसके बाद हमने परमाणु विस्फोट किया । तत्पश्चात् हमने अपना अन्तरिक्ष कार्यक्रम चलाया । हमने एक उपग्रह छोड़ा । इसके बाद तेल की खोज में हमें बम्बई-हाई में सफलता मिली । फिर हमने देश में बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने की दिशा में कदम उठाये । इन सब कार्यों और उपलब्धियों के वावजूद भी विपक्ष ने हमारे किए-कराये को धूल में मिलाने की चेष्टा की ।

विपक्ष हर कदम पर हमारे मार्ग में बाधक बना । संसद, शैक्षणिक संस्थाओं तथा प्रशासनिक कार्यकरण अर्थात् हर कदम पर विपक्ष ने गड़बड़ी पैदा करने का प्रयास किया । तत्पश्चात् उन्होने सम्पूर्ण क्रांति की बातें की और सेना तथा पुलिस को सरकारी-आदेशों का पालन न करने तथा विद्रोह करने की बात कही । औद्योगिक कर्मचारियों को हड़ताल करने के लिए कहा गया ।

सौभाग्यवश आपातकालीन स्थिति की घोषणा से एक नई स्थिति उभर आई है । इस संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि इन चुनौतियों को इस प्रकार का आत्म विश्वास पुनः उत्पन्न करने के लिए अवसरों के रूप में ग्रहण करने का हम प्रयास करें । आपातकालीन स्थिति के दौरान अस्थायी उपाय के रूप में न केवल अनुशासन ही होगा बल्कि यह हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग भी बन जायेगा और इस आपातकालीन स्थिति से हम यही लाभ उठाना चाहते हैं । देश को मुद्रास्फीति की एक गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा था । इस दिशा में हमने कुछ कठोर पग उठाये और मुद्रास्फीति की इस भयंकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया । इसके अच्छे परिणाम निकले हैं । इस मामले में इतनी सफलता विश्व के किसी अन्य देश को नहीं मिली ।

[श्री सी० सुब्रह्मण्यम]

मुद्रास्फीति को रोकने के मामले में भारत को एक उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है । किन्तु हमें इतने से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए क्योंकि यह खतरा कभी भी उत्पन्न हो सकता है । अतः स्थिति का पुनरीक्षण करना नितान्त आवश्यक है । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा ऋण नीति, वित्तीय अनुशासन आदि के बारे में किए गए उपायों को और सख्त किया जाना है ताकि घाटे की अर्थव्यवस्था को रोका जा सके और ऋण नीति में ढील के कारण पुन मुद्रास्फीति को बढ़ावा न मिले ।

हमारी समस्याओं का स्थायी समाधान यह है कि अधिकाधिक उत्पादन किया जाये और उस उत्पादन को अधिकाधिक लोगों के बीच उचित दरों पर वितरित किया जाये ।

हमने कृषि उत्पादन को भी अधिक महत्व दिया है क्योंकि इसके द्वारा लोगों को न केवल अनाज ही मिलता है अपितु इससे उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता पर भी प्रभाव पड़ता है । मौनसून ठीक समय पर आ जाने के कारण इस वर्ष आगामी फसल अच्छी होने की आशा है ।

इस वर्ष किसानों को बीज भी अच्छी किस्मों के मिले हैं । ऐसा गत वर्ष बीज फार्म निगम तथा राष्ट्रीय बीज निगम के एकीकृत हो जाने के फलस्वरूप ही संभव हुआ है ।

हमारे विश्वास तथा प्रोत्साहन का तीसरा कारण उर्वरक है । हमारे पास उर्वरकों का काफी स्टाक था और यदि इसका उपयोग पूरी तरह किया जाता तो परिणाम और भी अच्छे निकलते । इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमने उर्वरक के मूल्यों में काफी कमी की है ।

अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें विश्वास है कि खरीफ की फसल हमारे लक्ष्य के अनुसार 6 से 7 करोड़ टन तक हो जायेगी और हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि रबी की फसल 4 1/2 करोड़ टन तक हो, जितना कि हमने वर्ष के लिए अनुमान लगाया है, यदि हमारा उत्पादन 11 से 11 1/2 करोड़ टन तक हो जाये तो इससे आत्म-निर्भरता का विश्वास पैदा हो जाये ।

हमारा निरंतर यही प्रयास है कि हम कृषि के मामले में आत्मनिर्भर हों और हमें इस तरह के आसार नजर आ रहे हैं कि हमारे लिए इस लक्ष्य की प्राप्ति संभव है ।

बिजली, कच्चे माल तथा विदेशी मुद्रा उपलब्ध करने के फलस्वरूप हमारे औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ने की पूर्ण आशा है हमें उम्मीद है कि हमारा औद्योगिक उत्पादन गत वर्ष की तुलना में अधिक होगा ।

आपात कालीन स्थिति अनुशासन पैदा करने में सहायक सिद्ध हो रही है । श्रमजीवी लोगों ने आपातकालीन स्थिति के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की है । अतः इस वर्ष औद्योगिक उत्पादन में 5 से 6 प्रतिशत की वृद्धि संभव है । कृषि क्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए कुछ राष्ट्रीय उत्पादन में पांच से छः प्रतिशत तक की वद्धि होनी संभव है । हम गत कई वर्षों से इसे अपना लक्ष्य निर्धारित करते रहे किन्तु आशा है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति आपातकालीन स्थिति के दौरान हो जायेगी

श्रमिक सहयोग को सार्थक रूप देने के लिए भी यह उचित अवसर है । अब तक इसका अर्थ निदेशक मंडल के लिए निदेशक को नियुक्ति मात्र ही समझा जाता रहा है । इसके अतिरिक्त इसका कोई और अर्थ नहीं समझा गया । सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संगठन के कार्यकरण में श्रमिकों को भी सहभागी होना चाहिए । बोनस के बारे में श्रमिकों की यह धारणा है कि यह तो एक प्रकार की स्थगित मजूरी है । मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में वे अपने विचार तथा सुझाव दें ताकि सरकार, जहां तक कर्मचारियों के सहयोग का संबंध है, इन विभिन्न विकल्पों को कार्यरूप दे सके । इसी आधार पर ही हम सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास सुनिश्चित कर सकते हैं और उसके लिए दृढ़ आधार तैयार कर सकते हैं ।

केवल उत्पादन ही महत्वपूर्ण नहीं है । अधिक महत्वपूर्ण तो यह है कि हम किन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और किन लोगों के लाभार्थ उनका उत्पादन करते हैं । अतीत में यदि कुछ ऐसे उद्योग खोले गये हैं, जिनके उत्पादन से जनसाधारण को लाभ नहीं पहुंचा तो हम उन उद्योगों को बन्द नहीं कर सकते । क्योंकि ऐसा करने से उन उद्योगों में कार्य कर रहे लोग बेरोजगार हो जायेंगे । किन्तु भविष्य में प्राथमिकता उन उद्योगों को ही दी जायेगी जो उत्पादन जनसाधारण के उपयोग के लिए करेंगे ।

इतना ही नहीं वितरण भी उत्पादन के समान ही महत्वपूर्ण है । बिना समुचित वितरण प्रणाली के उत्पादन होते हुए भी हमें अभावों का सामना करना पड़ सकता है । अतः एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नितान्त आवश्यकता है।

20 सूत्री कार्यक्रम में इन बातों पर प्रकाश डाला गया है । स्वभावतः इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया गया है, लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि उत्पादन बढ़ने से होने वाले लाभों का फल समाज के कमजोर वर्ग को और उन लोगों को मिले जो आज गरीबी के स्तर से भी नीचे का जीवन बिता रहे हैं । अतः हमारी वितरण प्रणाली और उत्पादन को उन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए, जिनकी स्थिति आज
उत्पादन को उन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए, जिनकी स्थिति आज
अच्छी नहीं है । जो निम्न-स्तरीय जीवन यापन कर रहे हैं ।

सभापति महोदय : कुछ सदस्यों ने संशोधनों की सूचनाएं दी हैं । यदि वे पेश करना चाहते हैं तो पेश कर सकते हैं ।

श्री एम० कतामुतु (नागपट्टिनम) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एम० कतामुतु : मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) मैं अपना संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री राजदेव सिंह (जौनपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 8 पेश करता हूं ।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar): The 21-point programme announced by the Prime Minister will not bring about a fundamental change in our economic structure.

[श्री सी० एम० स्टीफन पीठासीन हुए
SHRI C. M. STEPHEN *in the Chair.*]

Our country is still backward from the industrial point of view. Our economy is in the grip of monopolists. Unless it is released from the strangle-hold of monopolists the way cannot be cleared for the development of our economy.

The 21-point programme has left untouched the aspect of control of monopolists who are having a hold on our economy. Thus, we cannot dare to claim that we would be able to achieve a growth rate of 6, 8 or 10 percent per year.

It is said that nationalisation is only a theory and that it cannot be put into practice. But this is not true. The Government have taken over 103 sick textile mills. The private owners were of the view that it would not be possible for the Government to run those mills. But after take over, during the very first year the mills earned a profit of Rs. 2 and half crores. Now that we have set up National Textile Corporation, the Government should take over all textile mills in order to meet the requirement of the cloth needed by the common people of our country.

There has been a long standing demand from Uttar Pradesh and Bihar for nationalisation of sugar industry. Congress Committees in several States have also made such demand. Government is pursuing dual policy of levy sugar and free sale sugar and due to this black marketing of sugar has been continuing. The mill owners are selling levy sugar in the form of free sale sugar and thus earning huge profits. Government has not been able to put a check on such transactions. It is high time the Government nationalise the sugar industry. This measure would strengthen our economic policy.

Jute plays an important role in earning foreign exchange. Last year the jute mill owners have deliberately lowered down the prices of raw jute. They started fleecing the farmers by procuring raw jute at cheaper rates, they were also engaged in black mailing the Government. It is, therefore, necessary in the interest of the country to nationalise the jute industry.

It is undisputed that steel is of a great importance for the economic development. Pace of production in the Rourkela Steel plant is very slow. So long as there is a private owned steel mill in Jamshedpur, Rourkela plant would not run profitably. TISCO should be nationalised in the interest of steel production in the country.

Our Government have announced certain policies but they have not paid any attention towards the basic elements of economic structure. There are number of points in the economic programme which the Government have been announcing from time to time but they have not implemented them. The Government have not formulated any clear-cut policy on prices. It has resulted into inflation. According to official figures the value of rupee has come down to 25 paisa.

Certain steps were taken last year to check the price spiral. and one of the steps was the decision taken by the Government that the whole-salers would be given 60 per cent loan if they deposit 100 per cent goods. Rate of interest was also increased to 15 per cent. This decision slowed down the speed at which the prices were rising. The Government should have taken some more steps to arrest prices on a regular basis.

21-point programme is a welcome step. After the declaration of emergency prices of certain items have come down. This is because of a sense of fear in the minds of traders that if they indulge into undesirable activities, stern action would be taken against them. Arrest of smugglers is also a welcome step. Earlier the detention of smugglers was justiciable but now new legislation has been enacted according to which they cannot challenge their detention in the courts. It is a democratic measure. But these steps would not lead to our cherished goal. If the Government want to tackle price situation effectively, they should nationalise wholesale trade. The Government should at least take over the wholesale trade in essential commodities. If the Government is not able to do that they should tell the wholesalers to carry on their business with their own funds and no funds should be provided to them by banks.

We have to increase our industrial and agricultural production. In order to increase industrial production such steps should be taken as would give a feeling to the workers that if production increase their lot would also improve. Then the workers would put their heart and soul in stepping up the production.

Public sector units should be under the care of those persons who have full faith in that sectors. It is very essential for the proper functioning of the public sector undertakings.

The high officials, which do not have faith in democratic set up, are misusing the rights conferred on them in the wake of declaration of emergency. I am sure that the hon. Finance Minister will see that only such officers are retained in service which have faith in democratic set up.

So far as land reforms are concerned, courts should be debared from interfering with the distribution of surplus land. Then if a person has land in different districts, the entire land should be taken into account for purposes of ceiling. Peoples' committees should be formed at block level, district level and state level to elicit their cooperation for implementation of land reforms. Such statutory bodies should be set up which has faith in land reforms. Such committees should be empowered to implement land reform laws. The persons who violate land laws should be put behind the bars.

Money lenders charge rate of interest which is much higher than the statutory limit of 12 per cent. The debt of marginal farmers should be condoned at centre levels. Nothing has been said about the Government scheme regarding grant of loan by banks. We hope that the Government will implement the scheme.

[Shri Bhogendra Jha]

I would like to say few words about irrigation projects. The Government **should provide adequate funds for projects like Rajasthan canal, Gandak project, Western Kosi canal. These projects should not suffer for lack of funds.**

सभापति महोदय : मेरे समक्ष चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों की लम्बी सूची है अतः प्रत्येक कांग्रेस सदस्य को दस मिनट से अधिक बोलने का समय नहीं दिया जा सकता।

श्री मोहन धारिया (पूना) : मुझे एक संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये मैं इसकी सूचना पहले ही दे चुका हूं।

सभापति महोदय : जब संशोधन प्रस्तुत करने के लिए आपका नाम बुलाया गया आप उपस्थित नहीं थे। अब इस विषय पर चर्चा हो रही है और चर्चा के दौरान संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : मेरा अनुरोध है कि समय बढ़ा दिया जाये क्योंकि 20 सूत्रीय कार्यक्रम एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और प्रत्येक सदस्य इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहता है।

श्री मोहन धारिया : सभापति महोदय, मैं आपके विनिर्णय का विरोध नहीं करता लेकिन यह प्रक्रिया चलती आ रही है कि यदि किसी सदस्य को निजी काम के कारण कुछ विलम्ब हो जाये तो उसे संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी जाती है।

सभापति महोदय : मैंने अपना निर्णय दे दिया है। चर्चा शुरू हो गई है और चर्चा के दौरान संशोधन नहीं प्रस्तुत किया जा सकता।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने यह प्रस्ताव लाकर हमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम पर चर्चा का अवसर दिया है। हमें इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से विचार करना होगा क्योंकि देश की राजनैतिक पद्धति और हमारे संस्थानों का भविष्य इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन की सफ़लता और असफ़लता पर निर्भर है। इस कार्यक्रम को चारों ओर से जनता का समर्थन प्राप्त हुआ है। इसने उन लोगों को जोकि पिछले कई वर्षों से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं एक नया उत्साह और नई आशा प्रदान की है। विरोधी पक्ष के लोगों ने इस देश में लाचारी और पराजय का वातावरण बना दिया था। विरोधी पक्ष के लोग समस्त उत्पादन को बन्द कराना चाहते थे। पिछले वर्ष श्रम विवादों के कारण 16 लाख जन-दिवसों की क्षति हुई। रेल हड़ताल के कारण देश को 124 करोड रुपये का नकसान हुआ।

इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम की उद्घोषणा के बाद एक आलोचना यह की गई कि प्रधान मंत्री ने कुछ नई बात नहीं की है और दूसरी आलोचना यह की गई कि कार्यक्रम अर्थव्यवस्था को नई दिशा नहीं प्रदान करता। प्रधान मंत्री ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने कुछ नई बात नहीं है। वास्तव में ऐसा कह कर उन्होंने अपने भाषण की भूमिका बताई है। प्रधान मंत्री ने कहा है हमें चमत्कारों की आशा नहीं करनी चाहिए। इस कार्यक्रम की उद्घोषणा का यह अर्थ नहीं कि इससे आर्थिक प्रणाली की सभी बुराइयां दूर हो जायेंगी। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन

की आवश्यकता पर यह बल डाला गया। सरकार के मूल कार्यक्रमों का उल्लेख विभिन्न संकल्पों और घोषणाओं में निहित है लेकिन 20 सूत्रीय कार्यक्रम उन सब कार्यक्रमों के बदले में नहीं लाया गया यह कार्यक्रम उससे अतिरिक्त है।

इस कार्यक्रम ने देश के पददलित लोगों में उत्साह का संचार किया है। इस कार्यक्रम से उन लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है जिन्होंने देश की प्रगति में सबसे अधिक योगदान दिया है। कार्यक्रम में इस बातपर भी बल दिया गया है कि जिन लोगों को इससे लाभ हुआ है उन्हें राष्ट्रीय धारा में अपेक्षित योगदान देना चाहिए।

कृषि, देश की अर्थव्यवस्था का आधार है। देश में खेतिहर मजदूरों की संख्या 470 लाख है जोकि कुल काम करने वाली जनता का 38 प्रतिशत है। पिछली दशाब्दि में 1961 से 1971 तक खेतिहर मजदूरों की संख्या में 32 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इन्हीं पर देश की प्रगति निर्भर है लेकिन उनका भाग्य क्या है। उनकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 253 रुपये है और यह वर्ष में केवल 200 दिन कार्य करते हैं। यद्यपि आज हम भूमि सुधार और निर्धन ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुधारने के बारे में बात करते हैं, लेकिन इन लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम वास्तव में बल नहीं दे रहे। हमारे कार्य इस दिशा में कुछ अस्पष्ट से हैं। अतः इस कार्यक्रम में इन लोगों के लिए एक नई दिशा प्रदान की गई है। यह कहा गया है कि खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी निर्धारित की जाये इसका क्रियान्वयन किया जाये। यह न्यूनतम मजूरी विभिन्न राज्यों में वहां की परिस्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है।

हम यह भी जानते हैं कि हमारी 63.8 प्रतिशत कुल खेतिहर जनसंख्या ऋणग्रस्त है। 1971 तक ग्रामीण ऋण 400 करोड़ रुपये का था। पिछले तीन वर्षों के दौरान यह 50 प्रतिशत बढ़ गया होगा। अब तक ग्रामीण ऋण ग्रस्तता की समस्या को दूर करने के लिए कोई वास्तविक उपाय नहीं किया गया। अतः खेतिहरों की ग्रामीण ऋणग्रस्तता के बारे में एक ऋण स्थगन घोषित किया गया है।

मैं वित्त, मंत्री को 2 अक्तूबर तक ग्रामीण क्षेत्रों में 50 बैंक खोलने का निर्णय लेने पर बधाई देता हूं। वित्त मंत्री को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि अगले कुछ महीनों तक बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों के द्वारा किस प्रकार एक करोड लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।

शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के प्रश्न पर गहराई से विचार करना होगा। शहरी भूमि के समाजीकरण और शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा के बारे में कुछ किस्म की कार्यवाही शुरू की गई है। देश को काला धन तबाह कर रहा है। काले धन का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है तथा उन लोगों को दण्ड दिया जा रहा है जो काले धन की सहायता से अर्थव्यवस्था को पंगु बना रहे हैं।

छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को मदद देने और उन्हें उचित मूल्य पर पुस्तकें उपलब्ध कराने के प्रयत्न किये गये हैं। आयकर से छूट की सीमा 6,000 रुपये से बढ़ा कर 8,000 रुपये कर दी गई है। यह स्वागत योग्य बात है पर इसे 10,000 रुपये तक बढ़ाना चाहिए था। बेरोजगारी

[श्री दिनेश चन्द गोस्वामी]

की समस्या को प्रशिक्षु अधिनियम में संशोधन करके हल करने का प्रयत्न किया गया है परन्तु हमें प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोज़गार देना ही चाहिए।

इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हमें पूरी तरह से सरकारी तंत्र पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें देश में उपलब्ध जनशक्ति का उपयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही गैर सरकारी संगठनों और प्रगतिशील राजनैतिक शक्तियों पर भी विश्वास करना चाहिए। इस देश का भविष्य इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की सफ़लता पर निर्भर है। यदि हम इस कार्यक्रम को लागू करने में असफ़ल रहे तो जनता राजनीतिकों और राजनीतिक प्रणाली में विश्वास खो बैठेगी।

Shri R. S. Pandey (Rajnand Gaon): The declaration of emergency has brought about a new awakening and new hope in the country. For the last 15 yers our economic growth rate has not exceeded from 3.5 per cent during the year 1973-74 rate of industrial production was about one percent. There are many factors responsible for less production.

At the time of the last budget the Finance Minister had said that one minimum growth rate should be 5 to 6 per cent. If we are able to achieve this growth rate it will be a good beginning towards implementation of the 20 point programme announced by the Prime Minister.

During the last 25 years there have been no dearth of plans for ameliorating the lot of the people through economic development. Why have we not been able to achieve our goal? It is because the plans are not properly implemented.

Our country is a country of farmers and workers. But the condition of both these categories of people is bad in our country tillers have not been given land. 33 percent of the population of Chhatisgarh area of Madhya Pradesh consists of Adivasis and Harijans they are very poor people they have no land to cultivate-lands should be given to such people so that they are able to earn their livlihood.

Madhya Pradesh is rich in water resources. But irrigation facilities are available only in 9.5 per cent area. Whereas the other states of the country the irrigated area is about 40, 50 and 60 per cent. Madhpa Pradesh and Maharastra have been given step motherly treatment in the matter of irrigation. It is really an unfortunate situation. Funds should be provided for augmenting irrigation facilities in Madhya Pradesh.

There is a big power crisis in the country and the production has fallen considerably because of it. There is also great potential for generation of electricity in Madhya Pradesh. Super thermal power stations should be set up there.

The Government has programme of providing small scale industries in backward areas. But it will be possible only if necessary infrastructure is provided. The 20 point programme pays great attention to the weaker sections of the society. Condition of weaker sections will improve if backward areas are developed.

These are wide economic disparities. Certain people are rolling in wealth and leading a luxurious life but poor workers and farmers who are responsible for production in the country are leading a miserable life. I am happy the Government has started conducting searches in the posh colonies of big cities the people who have more than seven eight airconditions in their houses or those who have

spent lakhs of rupees on interior decoration should be asked from where did they get the money for it. Steps should be taken to remove this disparity.

There should be proper distribution of land. Ceiling on urban property should be imposed without delay. Attention should also be paid towards 'Benami' land. The pcor is becoming poorer day by day and the rich is becoming richer day by day.

The country has turned a new leaf in the life under the leadership of the Prime Minister. A decision has now been taken to usher in a new era under her leadership.

I hope more resources will be tapped to those areas that have a large potential of growth so that unemployment could be removed and production could be increased.

Shri P. Ganga Reddy (Adilabad): Mr. Speaker Sir, for the last few years anarchey, lawlessness and indiscipline has been prevailing in the country. It posed a danger to the security of the country. The declaration of emergency has saved our country from chaos and anarchy.

The 20 point economic programme announced by the Prime Minister is like Roosevelt's New Deal of Russia's New Economic Programme. If this programme is properly implemented the future of the country will be bright.

After the declaration of emergency there has been a downward trend in the prices. It is hoped that normalcy will be reached soon in the prices. For this purpose it is essential to increase the production.

Black money is playing havoc with our economy. Those who have black money should be encouraged to bring it out. A tax at the rate of 40 to 50 percent should be levied on their black money. Loan Bonds should be given for the remaining amount and that amount should be utilised for the development of the country. There is lot of talk about corruption in our country. There is need for having a fresh look at our system of licences and permits. Also restrictions on the movement of foodgrains should be removed. These steps will help in reducing the corruption.

An amount of 63 crores rupees have been allocated for the irrigation of 50 lakh hectare land. The Government should urgently take up minor irrigation projects. Underground water resources should also be tapped. River water disputes should be settled before long. Pochampad and Nagarjun Sagar Projects need immediate attention. Andhra Pradesh has adequate coal deposits. A super thermal plant should be sanctioned for Andhra.

Remuneration price should be fixed up for agricultural production. The income tax exemption limit has been raised from Rs. 6000 to Rs. 8000. It should be raised to Rs. 10,000 so that Income Tax Department could pay more attention to check tax evasion by big people. Stern measures should be taken to check tax evasion.

There is need for electoral reforms. Since politicians have to spend lot of money on electors they indulge in corruption. Like American we should also have in our country elections to all bodies on an appointed date. No election should be held at any other time.

[Shri P. Ganga Reddy]

Corruption among the Government employees should be rooted with a heavy band Article 311 should be taken out of the constitution. There should also be reduction in administrative expenditure.

The Government should pay urgent attention to provision of drinking water and eradication of untouchability and unemployment. Free and compulsory education should also be provided.

An all out effort should be made to implement this economic programme. Most of our programmes fail in absence of proper implementation and if this programme is not implemented properly it will also flop like other programmes and it will cause frustration among the people. A national committee for rural programme should be set up for getting this programme implemented. More than 50 per cent members of this committee should be non officials.

Shri Hari Kishore Singh (Pupri): I am thankful to you for providing me an opportunity to participate in this discussion. I am one with Shri Bhogendra Jha that the present 20 point New Economic Programme, in no way changes the basic structure of our economy. According to the New Economic programme the capitalists, the public as well as private sector will continue in our country. A look on the programme of first three months makes it amply clear that Government is determined to do something for the common men.

Land Reform is the most imported thing in the entire new programme. If Government is really been to bring in an era of social transformation, the land reform programme should be implemented expeditiously. This forms the basis of all economic and social changes in the society. It should be ensured by the Government that all laws pertaining to land reforms, as passed by the various States, should be implemented within next six months.

It is a matter of pleasure that the loans of landless personal of rural areas are being condoned by State Governments. But this is also to lead to some difficulty because now those people will not be getting loans by mortgaging their land. They will be forced to sell out their land. The alternative source of loans should be made available to them by the Government.

I am a strong supporter of public sector, but I am at a loss to understand why it should always be necessary to appoint IAS and IPS officers to the places of responsibility in public undertakings and civil administration. In this connection my suggestion is that capable social and political workers who are committed to social cause and possess the courage of conviction should also be appointed to these posts. This will be of good help in the implementation of this new programme. In case it is found necessary the constitution should be amended for this purpose.

It is a matter of pity that even after 27 years of independence, crores of people are homeless in our country. A number of plans have been started by the Government experimental basis but I feel that a time bound large scale plan should be formed in which the people of Congress-Party, Communist Party and other parties should be associated with that.

Lastly I want to submit that, there is feeling that the State of Bihar is being neglect in the matter of power. The power projects earlier allocated for Bihar,

have been shifted to other states . This should be looked into by the Government and a **power station should be set up** in Bihar. The Minister should also se that Gandok and Kasi projects in Bihar should be taken over by the Central Sector.

With these words I support the programme and hope that Government will implement the same with entire might at her command.

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव (वेल्लारी) : मैं वित्त मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने प्रधान मंत्री के आर्थिक कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव पुरःस्थापित कर, हमें उन पर चर्चा करने का अवसर दिया है ।

(श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए)

[**Shri Ishaque Sambhali:** in the Chair]

वित्त मंत्री ने प्रधान मंत्री के 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम, जिसकी प्रति कल सभा पटल पर रखी गई थी, का अध्ययन करने के लिए भी कहा है । मैं पहले 20 सूत्रीय कार्यक्रम तथा बाद में आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं ।

जहां तक 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का सम्बन्ध में उसमें अनेक असाधारण तथा साधारण बातों को शामिल किया गया है । इसके कुछ पहलुओं का सम्बन्ध ग्रामीण क्षेत्रों, योजना कार्यक्रमों तथा मुद्रा स्फीति व छात्र समुदाय से भी सम्बद्ध है । कार्यक्रम के कुछ पहलुओं का सम्बन्ध औद्योगीकरण से भी है । तथ्य तो यह है कि इस सम्पूर्ण कार्यक्रम में कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसका कोई भी सदस्य विरोध करना चाहता हो ।

वर्तमान कार्यक्रम का सब से महत्वपूर्ण पहलू भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने से सम्बद्ध है । इस सम्बन्ध में चालू वर्ष के दौरान सर्वेक्षण करने से मालूम होगा कि केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से भूमि कानून पुरःस्थापित करने के लिए लिख दिया है । इतना ही नहीं अपितु उन्हें शीघ्र पारित करवा कर क्रियान्वित करने के लिए भी कह दिया गया है। प्रधान मंत्री द्वारा यह किया गया है कि यह कार्यक्रम केवल सरकारी तंत्र के माध्यम से ही क्रियान्वित नहीं किया जा सकता अपितु इसके लिए जनता तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों का सहयोग भी अपेक्षित है तो मैं केन्द्रीय सरकार से यह जानना चाहता हूं राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में गैर-सरकारी व्यवस्था कायम करने के लिए भी कह दिया गया है ताकि भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों की क्रियान्वित किया जा सके ।

कार्यक्रम में निहित ग्रामीण ऋण ग्रस्तता सम्बन्धी पहलू का भी मैं स्वागत करता हूं । इस सम्बन्ध में मैं केवल यही जानना चाहता हूं कि ग्रामीण ऋण देयता को, सरकार या सरकारी संगठनों से सम्बद्ध ऋणदेयता से अलग क्यों किया गया है ? क्या सरकार यह समझती है कि निजी क्षेत्र से ऋण लेने वाले तो ऋण लौटा सकने में असमर्थ हैं परन्तु जो सरकारी संस्थाओं से ऋण लेते हैं, वह ऋण लौटाने में समर्थ होते हैं ? क्या ऐसे लोग ऋण का भार अनुभव नहीं करते ? इसी सम्बन्ध में एक अन्य समस्या की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । उन लोगों का क्या होगा जो दुबारा ऋण लेना चाहते हैं ? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वित्त मंत्री द्वारा इस मामले पर पूर्ण गम्भीरता से विचार किया जा रहा है । उन्होंने हमें यह भी बताया हैं कि इस उद्देश्य की पूर्ति

[डा० वी० के० आर० वरदराज राव]

के लिए 50 ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जा रही है। हमें यह भी अच्छी तरह मालूम है कि सहकारिता आन्दोलन इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाया है। अतः इन परिस्थितियों के सन्दर्भ में मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाये जा रहे हैं? इस ऋण का क्या होगा जो सरकार को देय है, परन्तु उसका भुगतान नहीं किया जाता। कम आय वाले ऋण दाताओं के वर्गों का क्या होगा तथा इससे सम्बद्ध प्रतिस्थापन व्यवस्था का क्या होगा? आवश्यकता इस बात की है कि यह सब कुछ साथ साथ किया जाये।

इसके अतिरिक्त मैं न्यूनतम कृषि मजदूरी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इसके सम्बन्ध में जो विधान प्रस्तुत किया गया है वह सन्तोषजनक नहीं है मुझे यह भी पता चला है कि बिहार में न्यूनतम मजदूरों को 2.50 रुपये या 3.00 रुपये से बढ़ा कर 6.00 रुपये या 7.00 रुपये करने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया गया है। क्या इस समस्या का समाधान केवल सांविधिक ढंग से ही हो सकता है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथा जटिल समस्या है। मैं इस सम्बन्ध में केवल यही कहना चाहता हूं कि यदि हम लोगों में जागृत की गई आशाओं के अनुरूप कानून लागू करने में सफल न हो सके तो हमारे लिए बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी।

हमारी अगली मुख्य समस्या विद्युत की बढ़ती हुई मांग की है। हम विद्युत के शीघ्र बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सुपर तापीय बिजली घरों की स्थापना करना चाहते हैं। परन्तु मुख्य समस्या नये बिजली घरों की स्थापना के साथ साथ वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता के उपयुक्त तथा कारगर उपयोग की भी है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि इस कार्यक्रम की क्रियान्विति में रख रखाव के कार्य को भी उपयुक्त महत्व दिया जाना चाहिये।

वर्तमान कार्यक्रम की अगली महत्वपूर्ण मद मकानों के लिए प्लाटों आदि की व्यवस्था करने से सम्बद्ध है। परन्तु इसी से सम्बद्ध एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि खेतिहर मजदूर या छोटे किसानों को मकान बनाने के लिए भूमिखण्ड दे दिया जाता है तो वह उसका क्या करेगा? क्या हमने उसके उपयोग के बारे में भी कोई व्यवस्था की है? एक मकान के निर्माण पर 1500—रुपये से 1000—रुपये लागत आ सकती है परन्तु क्या इसके लिये अनुपूरक कार्यक्रम बनाया गया है?

सम्पत्ति का मूल्य कम आंकने या इसके अवमूल्यन पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये। देश में करोड़ों रुपये का काला धन छिपा हुआ है जो किसी न किसी रूप में गृह सम्पत्ति तथा भूखण्डों में लगाया गया है। इसका पता लगाने के लिए भी कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। इसी प्रकार तस्करी के माध्यम से देश में जो वस्तुएं लाई जाती हैं, उनकी तस्करी को रोकने तथा तस्करों को पकड़ने के लिए भी सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

20 सूत्रीय कार्यक्रम की सब से महत्वपूर्ण बात मूल्यों की वृद्धि को रोकने सम्बन्धी है। हमने वस्तुओं के वितरण, वसूली तथा मूल्य वृद्धि को रोकने की बात अनेक बार की है। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि वह मुद्रास्फीति को रोकने में काफ़ी सीमा तक सफ़ल रही है। परन्तु इस कार्य में अब किसी प्रकार की ढील नहीं दी जानी चाहिये। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि आपात स्थिति की घोषणा के बाद मूल्य काफी हद तक कम हो गये हैं। हमें मूल्य पर नियंत्रण बनाये रखने के लिए हर सम्भव उपाय करते रहना चाहिये। हमें वितरण व्यवस्था की ओर भी उचित ध्यान देना

चाहिये। जमा खोरी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही इस कार्य के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। सरकार द्वारा चालू वर्ष में छः उद्योगों के उत्पादन का 20 प्रतिशत अपने हाथ में ले लेने की बात कही गई है। यह उत्पादन सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित किया जायेगा। परन्तु प्रश्न यह है कि देश में कितनी सहकारी समितियां सफ़लतापूर्वक चल रही हैं? मेरा सुझाव है कि सहकारी वितरण व्यवस्था के साथ साथ हमें किसी अन्य व्यवस्था पर भी विचार करना चाहिये।

अगर हम अपने गत वर्षों के खाद्यान्नों सम्बन्धी आंकड़ों का अध्ययन करें तो हमें मालूम होगा कि एक महीने में साधारणतयः 10 लाख टन खद्यान्नों का वितरण किया जाता है। अतः वर्ष में हम लगभग 1.20 करोड़ टन खाद्यान्नों का वितरण करते हैं। वर्तमान आपात स्थिति में हमें अपना वसूली लक्ष्य प्राप्त करना तो सुगम हो गया है। 1975–76 के दौरान 1.20 करोड़ टन खाद्यान्न की वसूली हो जाने की अच्छी सम्भावना है। अतः यदि कुछ खाद्यान्नों का आयात किया जाता है तो उन्हें रक्षित भंण्डार के रूप में रखा जा सकता है।

सरकारी वित्त व्यवस्था की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। गंगा कावेरी के संगम पर लगभग 5000–6000 करोड़ रुपये के खर्च आने की संभावना है तथा इसके लिए वित्त मंत्री, प्रधान मंत्री तथा भारत सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। तथ्य तो यह है कि चालू वित्तीय वर्ष की संभावनाएं अच्छी नहीं हैं। अतः सरकार को मुद्रास्फीति तथा वित्तीय नीति के बीच तालमेल स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिये।

प्रधान मंत्री द्वारा 1 जुलाई तथा 26 जुलाई, 1975 को दिये गये वक्तव्यों के अनुसार सारा कार्यक्रम देश भर में तेज़ी से चल रहा है। वित्त मंत्री ने व्यापार स्थिति की चर्चा भी की है। आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि अप्रैल–मई, 1975 में 601 करोड़ रुपये का आयात हुआ है जब कि निर्यात 496 करोड़ रुपये का हुआ है। इससे दो महीनों में 105 करोड़ रुपये का प्रतिकूल बकाया हो गया है। यदि चालू स्थिति जारी रही तो वर्ष के अन्त तक 600 या 700 करोड़ रुपये की प्रतिकूल बकाया राशि हो जायेगी। अतः हमें अपना निर्यात बढ़ाना है। हमें एक निर्यात बैंक भी स्थापित करना चाहिये।

मध्य पूर्व के देशों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। हम इन देशों को रेफ्रीजरेटर और डीप-फ्रीजर भेज सकते हैं। इन वस्तुओं को वहां भेज कर हम रुपया कमा सकते हैं। इस व्यापार की ओर अब अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

निर्यातकों को विदेशी मुद्रा की सुविधा उदारता से दी जानी चाहिये। इस समय हमें गन्ना न देकर भेली देने वाली बात नहीं करनी चाहिये बल्कि हमें निर्यात बढ़ाने वालों को आवश्यक सुविधायें देनी चाहिये।

हमें इस आपात स्थिति के अवसर का उपयोग देश में पूर्ण परिवर्तन लाने के लिये करना चाहिये। 20 सूत्री कार्यक्रम एक अच्छी शुरूआत है। इसका उद्देश्य कुछ क्षेत्रों की उन समस्याओं का समाधान करना है, जहां बहुत कम कार्य हुआ है। इसके बाद हमें फ़िर कभी अवसर नहीं मिलेगा। हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिये।

1265 LS—3

[डा० वी० के० आर० वरदराज राव]

सबसे पहले सरकार को राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में निरक्षरता को दूर करना चाहिये। ग़रीबी एक दिन या एक वर्ष में समाप्त नहीं की जा सकती। लेकिन निरक्षरता को हम एक अभियान क द्वारा समाप्त कर सकते हैं। प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम में यह कार्यक्रम भी जोड़ा जाना चाहिये।

हमें देश भर की कुल सम्पत्ति का अनुमान लगाना चाहिये। इस सम्पत्ति का विवरण आंकड़ों के द्वारा ही नहीं देखना चाहिये बल्कि छिपी हुई सम्पत्ति का भी पता लगाया जाना चाहिये। यह तंत्र को थोड़ा शक्तिशाली बनाने से ही हो सकता है। बैंक में जमा धन, शेयरों, जमानतों तथा कुछ अन्य बातों का पता लगाकर यह किया जा सकता है। सम्पूर्ण आभूषण उद्योग को नियमित और नियंत्रित किया जाना चाहिये क्योंकि बहुत सा काला धन जिसे लोग प्रकट नहीं करना चाहते। मूल्यवान पत्थरों और आभूषणों में व्यय कर देते हैं।

मुद्रास्फीति समाप्त करने और आर्थिक विकास करने के लिये केवल घाटे की अर्थ-व्यवस्था की ओर ही ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रीय बचत को बढ़ाने के लिये हम क्या कर रहे हैं? इस देश में तीन चार वर्ष के लिये गांधीवादी सादगी की घोषणा क्यों नहीं कर दी जाय सादगी बरते जाने के लिये समान जीवनयापन की व्यवस्था की जाये। यदि यह पहले नहीं कर सके तो अब इसे कर सकते हैं। इसलिये अब हमें 22 प्रतिशत तक बचत करने के लिये व्यापक कार्य-क्रम बनाना चाहिये तथा सभी अनावश्यक उपयोगों को समाप्त कर देना चाहिये।

आज की परिस्थितियों में परिवार नियोजन अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। सरकार को इस कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

बेरोजगारी सम्बन्धी समस्या की ओर आर्थिक विकास दस्तावेज अथवा 20 सूत्री कार्यक्रम में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। रोजगार के इच्छुक रोजगार दफ्तर में दर्ज लोगों की संख्या 20 लाख से भी ऊपर पहुंच गई है। रोजगार की यह समस्या प्रशिक्षुओं के पहलू मात्र को लेकर हल नहीं की जा सकती। इससे तब तक कुछ होने वाला नहीं है जब तक उद्योगों में भेजने से पहले सरकार प्रशिक्षुओं को रोजगार से सम्बन्धित प्रशिक्षण नहीं देती। इस समय व्यापक राष्ट्रीय लोक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये।

कहा गया है कि सभी आई० सी० एस० और आई० ए० एस० अधिकारियों को बदल दिया जाना चाहिये। परन्तु यह कार्यक्रम नौकरशाही के सहयोग से ही लागू किया जा सकता है। हमें उनके साथ शत्रु जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिये। उन्हें सुव्यवस्थित करने के लिये हमें कोई तरीका ढूंढना चाहिये। नौकरशाही के सम्बन्ध में नया तरीका अपनाना चाहिये।

बीसवीं सदी के पहले 25 वर्षों में पूंजीवाद की हानि हुई, अगले 25 वर्षों में सोवियत संघ का अभ्युदय हुआ और सम्मान बढ़ा। इसके बाद के 25 वर्षों में चीन का सम्मान बढ़ा। अब ये अन्तिम 25 वर्ष भारत के हैं। मेरा यह अनुमान था कि यहां 1980 से घटनायें शुरू होंगी परन्तु वे बहुत पहले ही शुरू हो गई हैं। हम चाहते हैं कि आगामी 25 वर्ष भारत के हों और इस अवधि में भारत वास्तव में प्रगतिशील, समतावादी समाजवादी हो जाये तथा इसके साथ ही विश्व के उत्पादक राष्ट्रों में आ जाये

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : प्रधान मंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम का देश भर में स्वागत हुआ है। हमारे दल ने इसका स्वागत इस दृष्टि से नहीं किया है कि इसमें कुछ नया है बल्कि इस दृष्टि से किया है कि सरकार ने एक कार्यक्रम बनाया है जो अन्तिम न होकर थोड़े समय के लिये है। इसकी परीक्षा इसको लागू किये जाने में ही हो जायेगी। लागू करने अथवा लागू न करने पर यह देश उठ खड़ा होगा या समाप्त हो जायेगा, यह सरकार उठ खड़ी होगी अथवा गिर जाएगी प्रधान मंत्री का सम्मान बढ़ेगा अथवा उनका पतन होगा, इस बारे कुछ कहना जल्दबाजी ही है। अब हम इस स्थिति पर पहुंच चुके हैं और फिर दूसरा अवसर मिलने वाला नहीं है। हमारे सैकड़ों अच्छे कार्यक्रम हो सकते हैं। परन्तु प्रश्न तो उन्हें लागू करने का है। अतः अब प्रश्न तो लोगों को कार्यक्रमों के प्रति आकर्षित करने का है।

यह बात प्रसन्नता की है कि मुद्रास्फीति, जो गत वर्ष 30 या 25 प्रतिशत थी, अब घट कर 6 प्रतिशत रह गई है। आर्थिक दृष्टि से यह एक बड़ी उपलब्धि है। परन्तु जनसाधारण को इससे कोई राहत नहीं मिली है। थोक मूल्य कुछ कारणों से कम हुये हैं। परन्तु एक दो चीजों को छोड़कर इसका प्रभाव खुदरा मूल्य पर नहीं पड़ा है।

ज्ञात हुआ है कि बड़े व्यापारी समाप्त होने वाले स्टाक को फिर से पूरा न करने का संगठित षड़यंत्र चला रहे हैं। उनका ऐसा अनुमान है कि कुछ समय के बाद कुछ आवश्यक वस्तुओं का अभाव होगा। सरकार ने भारत रक्षा नियम अथवा अन्य किसी नियम के अन्तर्गत कोई ऐसा नियम अथवा कानून पास नहीं किया है कि एक निश्चित सीमा से स्टाक के कम होने पर इसे पूरा करना आवश्यक है। सरकार ने केवल इतना कहा है कि उन्हें निश्चित विनियमों के अनुसार बिक्री करनी है। ये विनियम भी बहुत प्रभावकारी अथवा कठोर नहीं हैं। उदाहरणतः भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत यह आदेश जारी किये गये हैं कि डिब्बा बन्द सामान पर डिब्बे के ऊपर वस्तु का नाम, उसका माप व तोल, डिब्बा बन्द करने की तिथि और बिक्री मूल्य लिखा होना चाहिये। यह बहुत अच्छा कदम है। परन्तु मूल्य के बारे में क्या सुरक्षा बरती गई है ?

1974–75 के दौरान सरकारी क्षेत्र में बैंकों से लिया गया ऋण गत वर्ष की तुलना में 799 करोड़ रुपये अधिक था तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में यह 1200 करोड़ रुपये से अधिक था। इस बीच की गई प्रगति पर अपना सन्तोष प्रकट करने के साथ साथ हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि मुद्रास्फीति के लिये जिम्मेदार तत्वों को अभी भी दूर नहीं किया जा सका है। हमें इसके लिये कठिन और लम्बी लड़ाई लड़नी है।

आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद वस्तुओं के नियंत्रित मूल्य बढ़ा दिये गये हैं। एक ओर खुदरा मूल्य कम नहीं हो रहे है ऑर दूसरी ओर सरकार कोयला, इस्पात, एल्यूमिनियम, मिट्टी का तेल, खाना बनाने की गैस और स्टैण्डर्ड कपड़े के मूल्य बढ़ा दिये गये हैं। जन सामान्य को किस प्रकार यह विश्वास दिलाया जाये कि मूल्य गिर रहे हैं।

अगली फसल के अच्छा होने की आशा है। परन्तु अनुभव यह बताता है कि ऐसा होने के बावजूद भी यदि वसूली में असफलता होती है तो जनसाधारण को अच्छी फसल का लाभ नहीं मिल पाता।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

यह बात गर्व की है कि हमारा अनाज का उत्पादन 1000 लाख टन तक बढ़ गया है परन्तु हम 120 लाख टन भी वसूल नहीं कर पाये हैं। इस 1000 टन की उपज में से हमें कम से कम 120, 150 या 250 लाख टन तक की वसूली करनी चाहिये। यदि हम यह सब नहीं कर सकते तो आपातकालीन स्थिति की बात करने का क्या लाभ है ?

उद्योगों की क्षमता बिना उपयोग के पड़ी है। यदि उस क्षमता का ही उपयोग किया जाये तो हम बिना कुछ और किये उत्पादन अधिक नहीं तो 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं। श्री टी० ए० पाई ने हाल में कहा है कि यदि उद्योग कम से कम 25 प्रतिशत तक क्षमता का उपयोग नहीं करते तो हम उसके प्रबन्ध को बदलने में संकोच नहीं करेंगे। प्रबन्ध परिवर्तन का क्या अर्थ है ? इसका अर्थ यही है कि सरकार को इन उद्योगों की निगरानी के लिए कुछ अपने आदमी नियुक्त करने पड़ेंगे।

मुझे पता नहीं कि ये बड़े बड़े उद्योग पति, और व्यापारी आपात स्थिति, में लागू अनुशासन को कहां तक मानेंगे। बड़े समाचार-पत्रों के मालिक और ये व्यापारी जो कल तक प्रधान मंत्री को हटाने के लिये एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे थे, आज श्रीमती गांधी के समर्थन में शपथ ले रहे हैं। क्या हम औद्योगिक उत्पादन को गैर-सरकारी क्षेत्र की दया पर छोड़ देंगे।

अभी मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 69वें प्रतिवेदन को देख रहा था। उसमें बताया गया है कि भारतीय सीमेंट निगम द्वारा 50 लाख मीटरी टन सीमेंट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था जिसे घटा कर 16 लाख टन कर दिया गया तथा फिर और घटा कर 12 लाख टन कर दिया गया है। ऐसा इसलिये किया जा रहा है ताकि गैर-सरकारी क्षेत्र अपने उत्पादन का और विस्तार कर सकें। लेकिन जयपुर उद्योग की सीमेंट उत्पादन क्षमता 8.55 लाख मीटरी टन होने के बावजूद उसका उत्पादन प्रतिवर्ष कम हो रहा है और यह शीघ्र ही बन्द हो जायेगा। गैर-सरकारी क्षेत्र में सीमेंट के सभी कारखानों का ऐसा ही हाल चल रहा है।

श्रीमती गांधी का 20 सूत्री कार्यक्रम बहुत अच्छा है और उससे एक नयी क्रान्ति आ सकती है लेकिन आप जनता का विश्वास जीतिये। लोग यदि सहयोग देंगे तभी यह कार्यक्रम सफल हो पाएगा। प्रतिक्रियावादी शक्तियों की आर्थिक शक्ति पर प्रहार करना आवश्यक है केवल उन पर प्रतिबन्ध लगाने से काम नहीं चलेगा। गरीबी हटाओ कार्यक्रम तभी सफल होगा जब शोषणकर्ताओं के विरुद्ध ठोस कदम उठाये जायेंगे। ये बड़े-बड़े कारखानेदार मजदूरों के शोषण में लगे हैं; कभी तालाबन्दी, कभी मजदूरों को नौकरी से हटाये जाने के समाचार मिलते रहते हैं।

विदेशी मुद्रा की चोरी रुकी नहीं है। सभी विदेशी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28 को कड़ाई के साथ लागू किया जाये। कोका कोला, कालगेट, पामोलिव, ब्रुक बांड, हिन्दुस्तान लीवर, ब्रिटेनिया बिस्कुट, ग्लैक्सो आदि कम्पनियों को इस धारा का अनुसरण करने के लिये मजबूर क्यों नहीं किया जाता ? पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में कुछ अधिकारी बैक्टल को पुनः यहां स्थापित करने के लिये जोर लगा रहे हैं जब कि सभी जानते हैं कि इस कम्पनी के मुखिया श्री जान० ए० मेकोन अमरीका में सी० आई० ए० के मुखिया भी रह चुके हैं। ऐसी कई बाह्य शक्तियां हैं जो भारत की

सरकार को अस्थिर बनाना चाहती हैं। आप भूतपूर्व सी० आई० ए० एजेंटों को भारत में आने से रोकने को दिशा में सतर्क रहें।

मोटे कपड़े का उत्पादन योजनाबद्ध ढंग से होना चाहिए। सरकार ने 103 रुग्ण कपड़ा मिलों को अपने अधिकार में लिया है। गैर-सरकारी क्षेत्र तो इनको नोच-खसोट कर खा गया। अब सरकार इनमें जनता का धन व्यय करेगी। फिर भी अगर सरकार इन मिलों के प्रबन्ध की ओर समुचित ध्यान दे तब एक आधार तैयार हो सकता है। लेकिन हमारी संसद् की एक समिति—सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने भी वस्त्र उद्योग के मामले में सरकार की आलोचना की है। राष्ट्रीयकृत बैंकों को सरकार समुचित निदेश नहीं देती कि इस उद्योग को ऋण सम्बन्धी सुविधाएं दी जायें। सस्ते कपड़े की देश में इतनी कमी है कि पूर्वी भारत में तो एक परिवार की दो-तीन महिलाओं के पास केवल एक ही साड़ी होती है। वे महिलाएं एक ही समय पर घर से बाहर काम करने नहीं जा सकतीं। जब एक वापस आती है तो दूसरी उसकी साड़ी पहन कर जाती है। उनकी इतनी दयनीय स्थिति पर विचलित हुए बिना कौन रह सकता है। गैर-सरकारी क्षेत्र में कपड़े की मिलों को न केवल बैंकों से ऋण मिलता है बल्कि सरकार की वित्तीय संस्थाओं जैसे आई०डी० बी०आई०, आई०एफ०सी०, आई०सी०आई०सी०आई आदि से भी उन्हें सहायता मिलती है। पटसन मिलों को भी इस प्रकार धन प्राप्त हो जाता है लेकिन ये मिल मालिक कारखानों के आधुनिकीकरण की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते।

आप ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण समस्या की बात कह रहे थे। लेकिन बड़े-बड़े कारखानों में भी लोग बहुत बड़ी संख्या में ऋण-ग्रस्त हैं। कारखानों में उन्हीं के साथी ऋण देकर खूब ब्याज कमा रहे हैं। एक सप्ताह के लिये 10 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है।

आप गरीबों को जमीन दे देते हैं लेकिन उनके पास पैसा तो है ही नहीं जिससे वे पशु और बीज खरीद सकें। संयुक्त विधायक दल मंत्रिमंडल जब बना था तो बंगाल में कुछ लोगों को जमीन दी गई थी। पर वे लोग उसे बेच कर खा गये। आप जमीन और मकान देने के साथ-साथ उनके वित्त-पोषण का भी प्रबन्ध करें।

श्री भोगेन्द्र झा ने कहा है कि संविधान के कुछ अनुच्छेदों का संशोधन आवश्यक है। लगता है न्यायालय कृषि सुधार और भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सरकार के पास इस बारे में अवश्य जानकारी नहीं है। अतः मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता।

स्थान-स्थान पर लोकप्रिय समितियां गठित किये जाने की बात पर मैं बल देना चाहता हूं। सभी स्तरों पर ऐसी समितियां बनाई जायें जिन्हें सांविधिक अधिकार प्रदान किये जायें और लोगों को भी उनके कार्यान्वियन में सम्मिलित किया जाये। जनसाधारण को जानकारी रहती है कि उनके क्षेत्र में कौन-कौन से बड़े जमींदार हैं जिनके पास फालतू भूमि है। आपको जनता का सहयोग प्राप्त होगा।

राष्ट्रीयकरण के मामले में भी आपका कार्य अपूर्ण है। आप इस मामले में झिझक रहे हैं। आपात स्थिति के दौरान बिड़ला, टाटा जैसे सेठों को खुश करने की जरूरत नहीं। मोटरगाड़ियों को मनमाने दामों पर ये लोग बेचते हैं। आप इस उद्योग को अपने अधिकार में ले सकते हैं।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

कलकत्ता में सरकारी परिवहन व्यवस्था अत्यन्त शोचनीय है उसके सुधार के लिये उपाय किये जाने चाहियें। आप नौकरशाही पर निर्भर न करें। उसमें बहुत से लोगों का सम्बन्ध प्रतिक्रियावादी तत्वों से है। ऐसे लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जाना चाहिए।

एक अन्य बात यह है कि कार्मिक संघों के नेताओं को डरा-धमका कर समझौता कराया जाता है। इण्डियन आक्सीजन के कार्मिक संघ के सचिव के साथ ऐसा ही हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार से इण्डियन आक्सीजन का एक समझौता हुआ है। लेकिन श्रमिक उससे संतुष्ट नहीं हैं। उनकी फैडरेशन के कई एककों ने उस समझौते से अपने को असम्बद्ध कर लिया है। अतः आप इस प्रकार असंतोष न फैलाएं।

हम श्रीमती गांधी के कार्यक्रम को कार्यान्वित कराने के लिये पूर्ण सहयोग देने को तैयार हैं। लेकिन सभी स्तरों पर इसे कार्यान्वित करना होगा। लेकिन हमारा कहना है कि सरकार और सत्ताधारी दल केवल ऊंचे नारों या कानून पर ही निर्भर करे बल्कि जनसहयोग को प्राथमिकता दें। तभी हमारा देश उन्नति कर सकता है।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई--उत्तर-पूर्व) : वित्त मंत्री जी के इस कथन पर बहुत हर्ष हुआ है कि अर्थ-व्यवस्था शीघ्र ही काफी सुदृढ़ हो जायेगी और आर्थिक सुधारों के कार्यान्वयन से हम सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने ही वाले हैं। हमें भी जानकारी है कि मुद्रास्फीति के लिये उतरदायी शक्तियों को समाप्त करने के लिये जोरदार प्रयत्न किये जा रहे हैं। मंत्री महोदय ने सूचकांक सम्बन्धी आंकड़े भी दिये हैं। लेकिन जैसे घास को ऊपर से थोड़ा काटने पर वह दोबारा उग आता है उसी प्रकार मुद्रास्फीति भी फिर से उभर कर सामने आ सकती है। अतः जब तक राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में से मुद्रास्फीति की जड़ें न निकाली जायें तब तक यह समस्या सुलझायी नहीं जा सकती।

[श्री एच० के० एल० भगत पीठासीन हुए]

[SHRI H. K. L. BHAGAT *in the Chair*]

जो आर्थिक कार्यक्रम घोषित किये गये हैं, वे नये नहीं हैं। अतः उत्पादन बढ़ाने और जमा तथा निवेश सम्बन्धी उपाय करते समय, जो आवश्यक हैं, हमें उन बातों को भी रोकने का प्रयत्न करना है जिनसे मुद्रास्फीति होती है। उनमें से एक मुख्य कारण है घाटे की वित्त-व्यवस्था। इसी के कारण सारी कठिनाइयां पैदा होती हैं। इसे पिछले वर्ष के मुकाबले में कम रखा जाना चाहिए और पूरी तरह नियंत्रण में रखना जरूरी है।

दूसरा कारक है विदेश व्यापार, निर्यात और आयात। पिछले 3–5 वर्षों से हमारा व्यापार संतुलन हमारे विपरीत रहा है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनायी जा रही हैं। लेकिन अब भी आयात, निर्यात से बढ़कर ही होता है। निर्यात बढ़ाने के लिये आयात का बढ़ाना आवश्यक नहीं है। आज हमारी अर्थ-व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था से जुड़ी हुई है। हमें अपनी सुरक्षा के उपाय करने चाहिए। विपरीत व्यापार-संतुलन से मुद्रास्फीति की शक्तियों में वृद्धि होती है।

इसके साथ-साथ आपातकालीन स्थिति के दौरान लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है और वे चाहते हैं कि आर्थिक कार्यक्रम सफल हो। यह एक समय-बद्ध कार्यक्रम है। उसे सफल बनाने के लिए जनसहयोग अत्यावश्यक है। नौकरशाही पर अधिक निर्भर करते रहने पर भी हम सफल नहीं

हो सकते। लेकिन उसके साथ ही हम किसी एक राजनीतिक दल पर निर्भर नहीं कर सकते क्योंकि यहां बहुदलीय लोकतंत्र की प्रणाली है। अब जब आन्दोलन की आवश्यकता है। जन प्रयासों को संगठित किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम को लागू करने और जन सहयोग प्राप्त करने के लिए कोईनकोई प्रणाली अवश्य बनाई जानी चाहिए। जन वितरण के लिए हमें उपभोक्ता सहकारी भण्डारों पर निर्भर करना है। भूमि हदबन्दी के लिए हमें जनता का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।

औद्योगिक क्षेत्र में हम ने औद्योगिक सम्बन्ध सुधारने का काम शुरू कर दिया है। श्रमिकों तथा प्रबधकों के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के लिए भी कार्यक्रम बनाया गया है। हमारे पहले के कार्यक्रम सफल नहीं हुए। औद्योगिक क्षेत्र में भागीदारी की एक नई पद्धति बनानी होगी।

अब जबकि विद्युत उपलब्ध है, कच्चे माल के उपलब्ध होने की भी सम्भावना है और सरकारी वित्तीय मशीनरी भी उपलब्ध है तो अब लोकतंत्र को तैयार करना होगा। एक पद्धति की आवश्यकता है और हम चाहते हैं कि वित्त मंत्री सामान्य रूप से जन-सहयोग और उद्योग में श्रमिकों के सहयोग की इस पद्धति पर प्रकाश डालें।

Shri Sat Pal Kapur (Patiala): This 20 point programme, as announced by the Prime Minister after proclamation of emergency, has been appreciated throughout the country and it has installed a sense of confidence in our people. People all over the country have not only whole-heartedly welcomed it but have extended their support and cooperation for its implementation. Today there is need to pay more attention towards National discipline, unity and hard labour. It is heartening to note that this programme includes land reforms and the imposition of ceiling on land holdings. But this programme of land reforms cannot succeed unless all cases pending in various courts of the country challeging the declaration of some lands as surplus are scrapped. Government should promulgate an Ordinance to this effect, if necesary.

There are 124 power and irrigation projects in the country which have been pending because of inter-State disputes. Some of these disputes are more than 10 yers old. So long as these disputes are not settled, these projects cannot be implemented. The emergency should be utilised for the purpose of settling the disputes so that work on these projects can be started imediately. As regards distribution of benefits accruing out of these projects, a proper machinery can be evolved later which can decide the issue.

Today everyone says that there must be more production capacity should be utilised fully. There is need to evolve a production pattern so that the requirements of the common man can be met. Press reports reveal that in the absence of bank credit stock of cloth has got accumulated with the mill owners. Textile Association and its lobby say that they are not getting bank credit. Hence immediate arrangements be made for bank credit. We should not encourage production of luxury goods and superfine cloth etc. We should encourage production of articles of every day consumption which are in short suply and which are required by people in general. Government should see that credit and other facilities should be given to those manufacturers only who follow the production pattern of Government.

I do not know as to who has suggest setting up of thermal power station in each state. Four thousand wagons are required daily for transport of coal to the thermal power stations functioning at present. I suggest that thermal stations be set up in state like Madhya Pradesh, West Bengal and Bihar where coal is available.

[Shri Sat Pal Kapur]

There is no need to afford security of service to Government officer specially to the officers belonging to I.A.S. and I.P.S. cadre, Article 311 should be removed from the constitution. Constitution ean be amended for this purpose. Only then we will be able to curb the bureaucracy and enable them to extend their co-operation for the implementation of this 20 point programme.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : महोदय, मैंने एक संशोधन पेश किया है जो इस प्रकार है :

"कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

'और सरकार से मांग करती है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रगतिशील राजनीतिक दलों, मजदूर संघों, किसान सभाओं, सामाजिक, युवक और महिला संगठनों को प्रत्येक स्तर पर सहयोगित किया जाये।' "

यह एक ऐसा संशोधन है जिसे स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है। मुझे आशा है कि सरकार इसे स्वीकार कर लेगी।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए हर चीज नौकरशाही पर नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग समाजवाद के लिए वचन-बद्ध हैं तो कुछ नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो लोग इस 20 सूत्री कार्यक्रम में विश्वास रखते हैं उन्हें इस आर्थिक कार्यक्रम में अवश्य सहयोजित किया जाना चाहिए। सभी सरकारी उपक्रमों में द्विपक्षीय समितियां बनाई जायें और प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी की योजना को क्रियान्वित किया जाये।

कुछ सदस्यों ने बताया है कि कुछ कारखानों में अभी भी जबरी छुट्टी की जा रही है। कानपुर की लक्ष्मीरतन कपड़ा मिल और एथर्टन कपड़ा मिल अभी भी बन्द है और 8000 श्रमिक बेरोजगार हैं। सरकार ने इन कारखानों को अपने हाथ में लेने का निर्णय किया था लेकिन दुर्भाग्यवश अब तक ऐसा नहीं किया गया है। राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया ऐसी है कि जब तक सरकार इन कारखानों को अपने हाथ में लेगी तब तक मशीनरी खराब हो जायेगी। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इन कारखानों को शीघ्र अपने हाथ में लें।

जब कभी भी उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ी हो बहुराष्ट्रीय कम्पनी, हिन्दुस्तान लीवर्स लिमिटेड उत्पादन कम ही करती रही। छः महीने पूर्व गाजियाबाद स्थित उनके कारखाने में प्रति सप्ताह 540 टन डालडे का उत्पादन होता था। उसके बाद इसे घटा कर 200 टन प्रति सप्ताह कर दिया गया। एक सप्ताह पहले अर्थात् आपात स्थिति के दौरान उन्होंने इसे और घटा कर 100 टन प्रति सप्ताह कर दिया था। इस कम्पनी ने साबुन की किस्म और आकार कम कर दिया है। इन्होंने लाइफब्वॉय और सनलाइट का वजन भी कम कर दिया है। इन्होंने सर्फ का मूल्य केवल 5 पैसे कम किया है। अन्य सभी वस्तुओं के मूल्य कम हुए हैं परन्तु इस कम्पनी ने अपने उत्पादों के मूल्य कम नहीं किये हैं। यदि यह ठीक है कि उन्होंने इस आपात स्थिति में डालडे का उत्पादन 450 टन से घटाकर 100 टन प्रति सप्ताह कर दिया है तो उन्हें इसके लिए दण्ड दिया जाना चाहिए।

चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए क्योंकि यह उत्पाद शुल्क के मामले में गन्ना उत्पादकों और सरकार को धोखा दे रहे हैं। यदि इस आपात स्थिति में इसका राष्ट्रीयकरण

नहीं किया जाता तो यह कभी नहीं हो सकता। बिहार और उत्तर प्रदेश विधान सभाओं ने सर्वसम्मति से संकल्प पास करे हैं कि इसका राष्ट्रीयकरण किया जाये। केन्द्र ने भी वायदा किया है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट के आने के बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया जायेगा। गन्ना उत्पादकों का करोड़ों रुपया देय है। हमें संविधान के अनुच्छेद 311, को केवल इसलिए समाप्त नहीं करना चाहिए कि हमारे यहां कुछ अधिकारी भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट अधिकारो का पता लगाने के लिए आसूचना विभाग है। नौकरशाही को ठीक किया जाना चाहिए और उसे समाजवाद के निकट लाया जाना चाहिए। उनमें ऐसे लोग भी हैं जो समाजवाद के लिए मतबद्ध हैं। हमारा रेडियो और टेलोविजन भी मतबद्ध होने चाहिए। ये सब उच्च आदर्शों के लिए मतबद्ध हों। यदि हम सब मिलकर काम करें तो यह 20 सूत्री कार्यक्रम देश में सफल होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम का पूरो तरह समर्थन करता हूं।

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur): It has ben provided in the 20-point programme that land will be provided for housing purposes to the weaker sections. This is a very laudable provision which will go a long way in removing the difficulties of the poorer sections. Earlier also land sites were provided to Harijans and landless labour and they were given the allotment letters to occupy that land. But for so many years they have neither been able to locate the land nor can they occupy it

The land ceiling laws have been openly flouted. Most of the big landlords and farmers who own hundreds of acres of land have been keeping their big farmers with them. They have formed trusts and cooperative societies and transferred all the lands in their names. This way they have been evading the ceiling laws. Government should look into it and take urgent steps during the emergency to see that surplus land is distributed to Harijans and landless. The State Governments have proved ineffective so far for this purpose. This can only be done when there is a unified programme at the Central level.

Although Government propose to bring a Bill on urban land ceiling, it is not going to solve the difficulty of those persons who are homeless. I will suggest that the tenants should be declared land owners after payment of certain amount. This programme will help the economy drive launched by Government and will make funds available to the poor for construction of houses in the rural areas.

I will also suggest that consumer cooperative stores should be opened in the rural areas so that they can supply foodgrains at cheaper price to the rural population during the lean period.

So far as sugar is concerned, I had said in this House that sugar be exported and Khandsari and Gur be supplied in rural and urban areas. Incase we import one million tonnes of crude oil, we must export one million tonne of sugar. Now the price of sugar in the international market has come down to £150—200 per tonne from £600 per tonne. You can meet your adverse balance of payment position by exporting sugar only. In this way we can make our economy strong. Sugar magnates are not permitting proper functioning of our economy. You have followed Credit squeez policy. They want hundred percent credit. Sugar mill owners have to pay a huge arrear of Rs. 70 crores to the cane growers. Rs. 80 crores have to be paid to the cane growers in Uttar Pradesh alone. This has crippled the economy of the rural sector in Northern India. In fact the sugar magnates are not to exploit the cane-growers, the common man and the Government. I therefore, suggest that the recommendations of the Bhargava

commission be implemented without any further delay. A.I.C.C. has also made a plea in this regard. This demand should be met and economy be given a strong base. Only then we can achieve socialism and people can leave a sigh of relief. With these words I support this economic programme and congratulate the Prime Minister for the timely steps taken by her.

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : मैं प्रधान मंत्री द्वारा 1 जुलाई को घोषित 20 सूत्री कार्यक्रम का स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के ये 20 सूत्र नये नहीं हैं।

सभापति महोदय: सभा अब स्थगित होती है। आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। सभा कल 11.00 बजे म० पू० पर समवेत होगी।

तत्पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 1 अगस्त, 1975/9 श्रावण, 1897 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, August 1, 1975/Sravana 9, 1897 (Saka).

CMGIPND—M—1265 L S J C 1935—200—25-9-75

PARLIAMENT LIBRARY
No. B. 274(15)
DATE 3.10.75

यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.